केन्द्रीय बजट 2025-26 का सारांश

प्रविष्टि तिथि: 01 FEB 2025 1:32PM by PIB Delhi

1 लाख रूपए तक प्रति माह की औसत आय पर कोई आय कर नहीं; इससे मध्यमवर्ग परिवारों की आय व खपत में वृद्धि होगी

वेतनभोगी करदाताओं को नई कर व्यवस्था में 12.75 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा

केन्द्रीय बजट में विकास के चार ईंजनों की पहचान की गई है- कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, इनमें 100 निम्न उत्पादन वाले जिलों को शामिल किया जाएगा

अरहर, उड़द व मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए "दालों में आत्मनिर्भरता मिशन" शुरू किया जाएगा

संशोधित ब्याज योजना के तहत केसीसी के माध्यम से पांच लाख तक का लोन

वित्त वर्ष-25 में राजकोषीय घाटा 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान, इसे वित्त वर्ष- 26 में 4.4 प्रतिशत करने का लक्ष्य

एमएसएमई को गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया

मेक इन इंडिया को निरंतरता देने के लिए लघु, मध्यम व वृहद उद्योग को शामिल कर राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का शुभारंभ

अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं

500 करोड़ रूपए के कुल परिव्यय के साथ शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केन्द्र

बैंको से ऋण में वृद्धि सहित पीएम स्वनिधि, 30 हजार रूपए की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड

गिग वर्करों को पहचान पत्र दिया जाएगा, पीएम जन आरोग्य योजना के तहत ई-श्रम पोर्टल और स्वास्थ्य देखभाल में पंजीकरण

विकास केन्द्र के रूप में शहरों को एक लाख करोड़ रूपए का शहरी चुनौती निधि

20 हजार करोड़ रूपए परिव्यय के साथ लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के आरएंडडी के लिए अणु ऊर्जा मिशन

संशोधित उड़ान योजना से 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा

और एक लाख आवासीय ईकाइयों को शीघ्र पूरा करने के लिए 15 हजार करोड़ स्वामिह निधि

निजी क्षेत्र द्वारा संचालित शोध विकास व नवाचार पहलों के लिए 20 हजार करोड़ आवंटित

पांडुलिपियों के सर्वेक्षण व संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन

बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया गया

विभिन्न कानूनों में 100 से ज्यादा प्रावधानों को गैर-अपराधीकरण रूप देते हुए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाया जाएगा

संशोधित आयकर रिटर्न की समयसीमा दो से बढ़ाकर चार साल किया गया

टीसीएस भुगतान में देरी अब अपराध नहीं

किराया पर टीडीएस 2.4 लाख रूपए से बढ़ाकर 6 लाख रूपए किया गया

कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर जीर्ण रोगों के उपचार के लिए 36 जीवनरक्षक औषधियों को बुनियादी सीमा-शुल्क (बीसीडी) से छूट

आईएफपीडी पर बीसीडी को बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया, ओपन सेल्स पर बीसीडी में 5 प्रतिशत की कमी

घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ ओपन सेल्स पर बीसीडी में छूट

बैट्री उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विद्युतीय वाहन और मोबाइल बैट्री उत्पादन के लिए अतिरिक्त पूंजीगत वस्तू में छूट

जहाज निर्माम में प्रयोग होने वाले कच्चा सामग्री और घटकों पर 10 साल के लिए बीसीडी में छूट

फ्रोजन फिश पेस्ट पर बीसीडी को 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया और फिश हाइड्रोलिसेट पर 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2025 को संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश किया। उनके बजट भाषण का सारांश यह रहाः

भाग ए

तेलुगु कवि और नाटककार श्री गुराजादा अप्पा राव के प्रसिद्ध कथन 'कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है, बल्कि देश उसके लोगों से है' कथन को उद्धृत करते हुए वित्त मंत्री ने केन्द्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तुत किया। इसमें 'सबका विकास' लक्ष्य के साथ समस्त क्षेत्रों का संतुलित विकास का लक्ष्य रखा गया हैं।

इसी लक्ष्य के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख किया जो इस तरह से हैं-

क) गरीबी से मुक्ति;

ख) शत प्रतिशत अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा;

ग) बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच;

घ) शत-प्रतिशत कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार;

ङ) आर्थिक गतिविधियों में सत्तर प्रतिशत महिलाएं; और

च) हमारे देश को 'फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड'बनाने वाले किसान

केन्द्रीय बजट 2025-26 में विकास को बढ़ावा के लिए सरकारी प्रयासों को जारी रखने, समग्र विकास को सुनिश्चित करने, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने, परिवारिक भावनाओं को बढ़ाने और उभरते मध्यम वर्ग की व्यय क्षमता को बढ़ाने का वादा किया गया। इस बजट में प्रस्तावित विकास, उपाय गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर किया गया है।

बजट में भारत की विकास संभावनाओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के लिए कराधान, ऊर्जा क्षेत्र, ग्रामिण विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और नियामक में परिवर्तनकारी सुधारों का लक्ष्य रखा गया है।

केन्द्रीय बजट में रेखांकित किया गया है कि **कृषि, एसएसएमई, निवेश और निर्यात** विकसित भारत की यात्रा के ईंजन हैं। इसमें सुधार को ईंधन के रूप में और समावेशिता की भावना को पथप्रर्दशक के रूप में रखा गया है।

पहला ईंजनः कृषि

बजट में राज्यों की भागीदारी के साथ 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना'की गई है। इसके अंतर्गत 100 जिलों को शामिल किया गया है जहां उत्पादन में वृद्धि, फसल विविधता अपनाने, फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने, दीर्घ-अवधि और लघु-अवधि, ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखा गया।

राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय 'ग्रामीण सम्पन्नता और अनुकूलन निर्माण' कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा। इससे कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी।

इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक अवसरों का सृजन करते हुए जिसमें विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, सीमांत और छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों पर ध्यान देना है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक छह वर्षीय अभियान का शुभारंभ करेगी। केन्द्रीय एजेंसियां (नेफेड और एनसीसीएफ) अगले चार वर्षो के दौरान किसानों से मिलने वाली इन तीन दालों को अधिकतम स्तर पर खरीदने के लिए तैयार रहेंगे।

बजट में सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम हेतु उपायों की भी अवधारणा तैयार की गई है। कृषि और इससे सम्बद्ध गतिविधियों को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन देने के लिए इसमें अन्य उपायों के साथ कपास उत्पादकता के लिए एक पांच वर्षीय अभियान और उच्च पैदावार करने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संशोधित ब्याज योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिटों के माध्यम से मिलने वाले ऋण की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की।

दूसरा इंजनः एमएसएमई

वित्त मंत्री ने विकास के लिए एमएसएमई को दूसरा शक्तिशाली इंजन बताया, क्योंकि यह क्षेत्र हमारे निर्यात का 45 फीसदी है। एमएसएमई को व्यापक स्तर पर उच्चतर कुशलता, तकनीकी उन्नयन और पूंजी के लिए बेहतर पहुंच प्राप्त करने में सहायता देने के लिए सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और कुल कारोबार सीमाओं को क्रमशः 2.5 और दोगुना

बढ़ाया गया है। इसके अलावा गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता को बढ़ाने के लिए भी उपायों की घोषणा की गई है।

वित्त मंत्री ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पहली बार की उद्यमी पांच लाख महिलाओं के लिए एक नई योजना का शुभारंभ किया। यह अगले 5 वर्षों के दौरान करोड़ रुपए तक के ऋण प्रदान करेगी।

<u>तीसरा इंजनः निवेश</u>

निवेश को वृद्धि का तीसरा इंजन बताते हुए वित्त मंत्री ने लोगों, अर्थव्यवस्था और अभिनव में निवेश को प्राथमिकता दी।

लोगों में निवेश के अंतर्गत, उन्होंने घोषणा की कि अगले पांच वर्षों में सरकारी विद्यालयों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ब्रॉडबेंड कनेक्टविटी प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि भारतीय भाषा पुस्तक योजना को विद्यालयों और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं के डिजिटल स्वरूप को प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 'मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर दी वर्ड' विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशल से हमारे युवाओं को युक्त करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारी के साथ पांच राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना की जाएंगी।

500 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ शिक्षा के लिए आर्टिफिशिएल इंटेलीजेंस में एक उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

बजट में घोषणा की गई कि सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल, गिग श्रमिकों के पहचान पत्र बनाने के साथ-साथ ई-श्रम पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन करेंगी।

अर्थव्यवस्था में निवेश के अंतर्गत श्रीमती सीतारमण ने कहा कि बुनियादी ढांचा-संबंधित मंत्रालय सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोड में परियोजनाएं के तीन वर्ष की अवधि के साथ कार्य करेंगे।

उन्होंने कहा कि राज्यों के लिए पूंजीव्यय और सुधारों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए 50 वर्ष तक के ब्याज मुक्त ऋणों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव दिया गया है।

उन्होंने नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी का लाभ लेने के लिए दूसरी परिसम्पत्ती मौद्रिकरण योजना 2025-30 की भी घोषणा की।

'जनभागीदारी' के माध्यम से ग्रामीण पाइप के माध्यम से जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, संचालन और मरम्मत पर ध्यान देने के साथ वर्ष 2028 तक जल जीवन मिशन का विस्तार किया गया है।

सरकार 'विकास केन्द्रों के तौर पर शहरों, के रचनात्मक पुर्नविकास और जल एवं स्वच्छता' के लिए प्रस्तावों को कार्यान्वित करने हेतु एक लाख करोड़ रुपये के शहरी चुनौती कोष का गठन करेंगी।

अभिनव में निवेश के अंतर्गत निजी क्षेत्र परख अनुसंधान, विकास और अभिनव पहल को कार्यान्वित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की गई है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने शहरी योजना को लाभ देने हेतु बुनियादी भू-स्थैतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राष्ट्रीय भू-स्थैतिक अभियान का प्रस्ताव दिया।

बजट में शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, प्रयोगशालाओं और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ एक करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियों के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम् अभियान का प्रस्ताव दिया गया। ज्ञान साझेदारी के लिए भारतीय ज्ञान व्यवस्था के एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष का भी प्रस्ताव दिया गया।

<u>चौथा इंजनः निर्यात</u>

श्रीमती सीतारमण ने निर्यात को विकास का चौथा इंजन बताते हुए कहा कि क्षेत्रीय और मंत्रालयी लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसे वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, 'भारत ट्रेडनेट (बीटीएन)' का व्यापार दस्तावेज़ीकरण और वित्तपोषण समाधानों के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव दिया गया है।

वित्त मंत्री ने उल्लेख किया कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़े रखने के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएंगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार उद्योग 4.0 से संबंधित अवसरों का लाभ उठाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग को सहायता प्रदान करेगी। उभरते हुए दूसरी श्रेणी के शहरों में वैश्विक क्षमता केन्द्रों को प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय प्रारूप का भी प्रस्ताव दिया गया है।

सरकार जल्द खराब होने वाले बागवानी उत्पाद सहित एयरकार्गों के लिए बुनियादी ढांचे और वेयरहाउसिंग के उन्नयन हेतु सुविधा प्रदान करेगी।

ईंधन के रूप में सुधार

इंजन के लिए ईंधन के तौर पर सुधारों को स्पष्ट करते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले दस वर्षों से ज्यादा समय में सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए फेसलैस मूल्यांकन, करदाता चार्टर, त्वरित रिटर्न, लगभग 99 फीसदी रिटर्न स्वयं मूल्यांकन के आधार पर और विवाद से विश्वास योजना जैसे कई सुधारों को कार्यान्वित किया गया है। इन प्रयासों को जारी रखते हुए उन्होंने कर विभाग की 'विश्वास प्रथम जांच बाद में' वचनबद्धता को दोहराया।

वित्तीय क्षेत्र सुधार और विकास

'कारोबार में आसानी' की दिशा में सरकार की त्वरित वचनबद्धता की पुष्टि करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अनुपालन में आसानी, सेवाओं के विस्तार, मजबूत नियामक परिवेश को बनाने, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू निवेश को प्रोत्साहन देने और पुराने कानूनी प्रावधानों के गैर-अपराधीकरण को आगे बढ़ाते हुए भारत में सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र की व्यापकता में संरचनात्मक बदलाव का प्रस्ताव दिया।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने समूचे भारत में प्रीमियम निवेश करने वाली कम्पनियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74 फीसदी से 100 फीसदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया।

श्रीमती सीतारमण ने सिद्धांतों पर आधारित सरल नियामक प्रारूप और उत्पादकता एवं रोजगार को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव दिया, उन्होंने 21वीं सदी के लिए आधुनिक, लचीले, लोगों के अनुकूल और विश्वास आधारित नियामक प्रारूप को विकसित करने के लिए निम्नलिखित चार विशेष उपायों का प्रस्ताव दियाः

i. विनियामक सुधार हेतु उच्चस्तरीय समिति

- सभी गैर-वित्तीय क्षेत्र संबंधी विनियमों, प्रमाणन, लाइसेंसऔर अनुमतियों की समीक्षा करने के लिए विनियामक सुधार हेतु उच्चस्तरीय समिति
- खासतौर पर निरीक्षणों और अनुपालनों के मामलों में कारोबार में आसानी को बढ़ावा देने के लिए विश्वास आधारित आर्थिक शासन को मजबूत बनाना और परिवर्तनकारी उपायों को अपनाना
- एक वर्ष के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना
- राज्यों को भी इस प्रयास में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना

ii. राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक

- प्रतिस्पर्धात्मक सहकारी संघवाद की भावना की बढ़ावा देने के लिए राज्यों के लिए एक निवेश अनुकूल सूचकांक का शुभारंभ 2025 में किया जाएगा

iii. वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) के अंतर्गत व्यवस्था

- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अंतर्गत, वर्तमान वित्तीय विनियमों और सहायक अनुदेशों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा।
- यह तंत्र जबावदेही बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए एक फ्रेमवर्क भी तैयार करेगा।

IV. जन विश्वास बिल 2.0

- विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर-आपराधिक बनाना।

राजकोषीय सुदृढ़ीकरण

राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के मार्ग पर बने रहने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि राजकोषीय घाटे को प्रत्येक वर्ष इस प्रकार से रखने का प्रयास किया जाएगा कि केन्द्रीय सरकार का ऋण, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में गिरते क्रम में बना रहे। इसके साथ ही अगले 6 वर्षों के लिए रोडमैप का विस्तृत ब्यौरा एफआरबीएम विवरण में दिया गया है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का **4.8** प्रतिशत है जबकि बजट अनुमान 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

संशोधित अनुमान 2024-25

वित्त मंत्री ने बताया कि उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 31.47 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से निवल कर प्राप्तियां 25.57 लाख करोड़ रुपये है। उन्होंने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि कुल व्यय का संशोधित अनुमान 47.16 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग 10.18 लाख करोड़ रुपये है।

बजट अनुमान 2025-26

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2025-26 में, उधारियों के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमश: 34.96 लाख करोड़ रुपये तथा 50.65 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। निवल कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

<u>भाग ख</u>

राष्ट्र निर्माण में मध्यमवर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता में हमेशा विश्वास जताते हुए केन्द्रीय बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था के तहत कर दर संरचना को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिवर्ष 12 लाख रुपये तक की आय अर्थात विशिष्ट दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपये प्रतिमाह की औसत आय पर कोई आय कर देय नहीं होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण प्रतिवर्ष 12.75 लाख रुपये होगी। इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप नए कर संरचना के तहत सरकार को प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का परित्याग होगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने लोगों की जरूरतों को समझते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों में मध्यम वर्ग पर ध्यान केन्द्रित करते हुए व्यक्तिगत आयकर में सुधार, टीडीएस/टीसीएस को तर्कसंगत बनाना, अनुपालनों के बोझ को कम करते हुए स्वैच्छिक अनुपालनों को प्रोत्साहित करना, व्यवसाय करने की सुगमता और निवेश और रोज़गार बढ़ाने के लिए कुछ प्रोत्साहन शामिल हैं।

नई कर व्यवस्था में निम्नानुसार कर दर संरचना को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है:

कुल वार्षिक आय	कर की दरें
0-4 लाख रुपए	शून्य
4-8 लाख रुपए	5 प्रतिशत
8-12 लाख रुपए	10 प्रतिशत
12-16 लाख रुपए	15 प्रतिशत
16-20 लाख रुपए	20 प्रतिशत
20-24 लाख रुपए	25 प्रतिशत
24 लाख रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

टीडीएस/टीसीएस की दरों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा 50,000 रुपए से दोगुनी बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, किराए पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए प्रस्तावित है। अन्य कदमों में अब धनप्रेषणों पर टीसीएस की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है और उच्च टीडीएस कटौती के प्रावधान केवल गैर–पैन मामलों पर ही लागू होंगे। विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख तक टीडीएस के भुगतान में विलंब को गैर-आपराधिक कर दिया गया था अब टीसीएस प्रावधानों के लिए भी इसी छूट का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है।

स्वैच्छिक अनुपालन को अद्यतन करने की सुविधा को लेकर लगभग 90 लाख करदाताओं ने अतिरिक्त कर का भुगतान करते हुए स्वैच्छिक रूप से अपनी आय संबंधी ब्यौरों को अद्यतन किया। इस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए, अब किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के लिए अद्यतन विवरणी दाखिल करने की समय-सीमा को मौजूदा दो वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है। छोटे धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं की पंजीकरण अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष से 10 वर्ष करके ऐसी संस्थाओं के अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने का प्रस्ताव है। करदाताओं को स्वामित्व वाली सम्पत्तियों के लिए बिना किसी शर्त के ऐसी दो सम्पत्तियों के वार्षिक मूल्य के लाभ की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। पिछले बजट में प्रस्तुत की गई विवाद से विश्वास योजना को शानदार प्रतिक्रिया मिली है और इसके द्वारा लगभग 33,000 करदाताओं ने इस योजना का लाभ उठाते हुए अपने विवादों का निपटारा किया है। वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों को लाभ देते हुए 29 अगस्त, 2024 को या उसके पश्चात् राष्ट्रीय बचत योजना (एनएसएस) से किए गए आहरण पर छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है। एनपीएस वात्सलय खातों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था का प्रस्ताव है।

व्यवसाय करने की सुगमता के तहत, अंतरण मूल्य की प्रक्रिया को कारगर बनाने हेतु तीन वर्षों की ब्लॉक अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के मामलों में आर्म्स लेन्थ मूल्य निर्धारण करने के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। यह योजना सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों के अनुरूप होगी। अंतरराष्ट्रीय कराधान में विवादों को कम करने और निश्चितता को बनाए रखने की दृष्टि से सेफ हार्बर नियमों के दायरे का विस्तार किया जा रहा है।

रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने हेतु उन अनिवासियों के लिए प्रकल्पित कराधान व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है, जो ऐसी निवासी कम्पनी को सेवाएं प्रदान करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सुविधा स्थापित या संचालित कर रही है। देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा टन भार कर स्कीम के लाभों के अंतर्गत पंजीकृत अन्तर्देशीय जलयानों के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है। भारतीय स्टार्ट-अप इको-सिस्टम में 5 वर्षों तक निगमन की अवधि का विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है। अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में सॉवरेन धन निधियों और पेंशन निधियों द्वारा अवसंरचना क्षेत्र में वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए निवेश करने की तारीख को 5 वर्ष बढ़ाकर 31, मार्च, 2030 तक करने का प्रस्ताव किया गया है।

औद्योगिक वस्तुओं के लिए सीमा-शुल्क टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाने के लिए बजट में : (i) सात टैरिफ दरों को हटाने, (ii) प्रभावी शुल्क दायित्व बनाए रखने के लिए कुछ मदों प्रभावी शुल्क दायित्व बनाए रखने के लिए कुछ मदों को छोड़कर, और (iii) एक से अधिक उपकर अथवा अधिभार नहीं लगाने का प्रस्ताव है।

आयातित दवाईयों पर छूट देते हुए कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और संचारी बीमारियों और 36 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) से पूरी तरह छूट दे दी गई है। पेटेंट असिस्टेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 13 नई दवाओं सहित 37 दवाईयों को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है, अगर ये दवाएं मरीज को मुफ्त दी जाती है।

घरेलू विनिर्माण और मूल्य संवर्धन, 25 विशेष खनिजों जिनकी घरेलू उपलब्धता नहीं है उन्हें भी सहायता देने के लिए जुलाई, 2025 से बीसीडी से मुक्त कर दिया गया है। 2025-26 के बजट में कोबाल्ट पाउडर और उसके कबाड़, लीथियम आयरन बैट्री के कबाड़, लैट, जिंक और 12 अन्य मुख्य खनिजों को भी छूट दी गई है। घरेलू कपड़ा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा मशीनरी में दो अन्य शटल लैस लूम्स को भी छूट दी गई है। बजट में आगे कहा गया है कि बुने हुए कपड़े जो 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत, जिन्हें 20 प्रतिशत कर दिया गया है या 115 किलोग्राम से जो ज्यादा है, जो 09 टैरिफ लाइन्स को कवर करती है, उनके बीसीडी में भी संशोधन किया गया है।

प्रतिलोम शुल्क संरचना को ठीक करने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इंटरेक्टिव फ्लेट पैनल डिस्पले (आईएफपीडी) को 20 प्रतिशत बढ़ाया गया है और ओपन सैल्स को 5 प्रतिशत कम किया गया है। ओपन सैल्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ओपन स्टेंड्स को बीसीडी के हिस्से के रूप में छूट दी गई है।

देश में लीथियम आयन बैट्री के निर्माण को बढावा देने के लिए, ईवी बैट्री निर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल फोन की बैट्री के निर्माण के लिए 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं को भी पूंजीगत वस्तुओं को दी जाने वाली छूट की सूची में जोड़ा गया है।

केन्द्रीय बजट 2025-26 में कच्चे माल, कलपुर्जों, जहाज के निर्माण में आने वाले सामान और दोबारा उपयोग में आने वाले सामान पर अगले 10 वर्षों के लिए बीसीडी की छूट भी जारी रहेगी।

****

एनबी/एमजी/हिंदी इकाई-15

(रिलीज़ आईडी: 2098354) आगंतुक पटल : 431

केन्द्रीय बजट 2025-26 की मुख्य बातें

प्रविष्टि तिथि: 01 FEB 2025 1:31PM by PIB Delhi

भाग- ए

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश किया। बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-

बजट अनुमान 2025-26

- उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमश: 34.96 लाख करोड़ रुपये तथा 50.65 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
- निवल कर प्राप्तियां `28.37 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
- राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- सकल बाजार उधारियां 14.82 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।
- वित्त वर्ष 2025-26 में कैपेक्स व्यय 11.21 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.1 प्रतिशत) रहने का अनुमान है।

विकास के प्रथम इंजन के रूप में कृषि

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना - विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम

- राज्यों की भागीदारी से 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' का शुभारंभ करेगी। इस कार्यक्रम में मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों के अभिसरणके माध्यम से कम उत्पादकता, कम उपज और औसत से कम ऋण मानदण्डों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है।

ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण

- राज्यों की भागीदारी से 'ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण' नामक एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा ताकि कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी।
- पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा।

दलहन में आत्मनिर्भरता

- सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ 6-वर्षीय "दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन" प्रारम्भ करेगी।
- केंद्रीय एजेंसियां नेफेड और एनसीसीएफ अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से ये दालें खरीदेगी।

सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम

- उत्पादन, प्रभावी आपूर्तियों, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा।

बिहार में मखाना बोर्ड

- मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा।

राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन

- राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू किया जाएगा किया जाएगा जिसका उद्देश्य अनुसंधान इकोसिस्टम को मजबूत करना, लक्षित विकास और उच्च पैदावार वाले बीजों का प्रसार करना और बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना होगा।

मत्स्य उद्योग

- सरकार अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के साथ भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और गहरे समुद्रों से निरंतर मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क लाएगी।

कपास उत्पादकता मिशन

- कपास की खेती की उत्पादकता और निरंतरता में पर्याप्त सुधार लाने के लिए 5 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है और कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा।

किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण

- किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी जाएगी।

असम में यूरिया संयंत्र

- नामरूप असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

<u>विकास के दूसरे इंजन के रूप में एमएसएमई</u>

एमएसएमई के वर्गीकरण मानदण्ड में संशोधन

- सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाकर क्रमशः 2.5 और 2 गुना कर दी जाएगी।

सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड

- उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए पहले वर्ष में 5 लाख रुपये तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

स्टार्ट-अप के लिए निधियों का कोष

- विस्तारित कार्यक्षेत्र और 10,000 करोड़ रुपए के नए अंशदान के साथ निधियों के नए कोष की स्थापना की जाएगी।

पहली बार के उद्यमियों के लिए योजना

- 5 लाख महिलाओं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पहली बार के उद्यमियों के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराने की एक नई योजना की घोषणा।

फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस उत्पाद स्कीम

- भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने 4 लाख करोड़ का कारोबार करने और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात सुगम बनाने के लिए फोकस उत्पाद स्कीम की घोषणा।

खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय

- भारत को 'वैश्विक खिलौना केंद्र' बनाते हुए उच्च गुणवत्ता वाले अनूठे नवीन और पर्यावरण के अनुकूल खिलौने बनाने की योजना।

खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता

- बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापना की जाएगी।

विनिर्माण मिशन - 'मेक इन इंडिया' को आगे बढ़ाना

- 'मेक इन इंडिया' को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी।

<u>विकास के तीसरे इंजन के रूप में निवेश</u>

<u>I. लोगों में निवेश</u>

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0

- पोषण संबंधी सहायता के लिए लागत मानदण्डों को समुचित रूप से बढ़ाया जाएगा।

अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं

- अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के लिए ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी

- भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम

- स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा।

राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र

- "मेक फॉर इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड" विनिर्माण के लिए हमारे युवाओं को आवश्यक कौशलों से सुसज्जित करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किये जाएंगे।

आईआईटी में क्षमता का विस्तार

- 6,500 और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सुगम बनाने के लिए वर्ष 2014 के पश्चात शुरू किए गए 5 आईआईटी में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा।

शिक्षा हेतु एआई में उत्कृष्टता केंद्र

- 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।

चिकित्सा शिक्षा का विस्तार

- मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अगले 5 वर्षों में 75000 और सीटें बढ़ाने के लक्ष्य की दिशा में अगले वर्ष 10000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी।

सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र

- सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण

- शहरी कामगारों को आमदनी बढ़ाने और स्थायी आजीविका पाने में सहायता करने के लिए उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए एक स्कीम की घोषणा।

पीएम स्वनिधि

- इस स्कीम को बैंकों से संवर्धित ऋण 30,000 रुपए की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्डों और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

- सरकार गिग कामगारों के लिए पहचान पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था तथा पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगी।

II. अर्थव्यवस्था में निवेश

अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी

- सरकारी निजी भागीदारी में 3 वर्षीय पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए अवसंरचना संबंधी मंत्रालय बनाए जाएंगे राज्यों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता

- सुधारों के लिए पूंजी व्यय और प्रोत्साहन के लिए राज्यों को 50 वर्ष के ब्याजमुक्त ऋण के लिए डेढ लाख करोड़ रूपए के आवंटन का प्रस्ताव।

परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025-30

- घोषित की गई नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी के लिए 2025-30 के लिए दूसरी योजना।

जल जीवन मिशन

- बढ़े हुए कुल आवंटन के साथ मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया।

शहरी चुनौती कोष

- एक लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष की घोषणा जिसे 2025-26 के लिए 10 हजार करोड़ रुपए के आवंटन के प्रस्ताव के साथ वृद्धि केंद्रों के रूप में शहर शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए प्रस्ताव लागू करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन

- परमाणु ऊर्जा अधिनियम और नागरिक दायित्व परमाणु क्षति अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव।

- 20 हजार करोड़ रुपए के आवंटन के साथ लघु मॉड्यूलर रियक्टर्स (एसएमआर) के अनुसंधान व विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। 2033 तक 5 स्वदेश विकसित एसएमआर संचालित करने का प्रस्ताव।

पोत निर्माण

- पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को नया रूप दिया जाएगा।
- निर्दिष्ट आकार से अधिक विशालकाय पोतों को अवसंरचनासुसंगत मास्टर लिस्ट (एचएमएल) में शामिल किया जाएगा।

समुद्री विकास कोष

- 25 हजार करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना का प्रस्ताव। इसमें सरकार का योगदान 49 प्रतिशत होगा। शेष योगदान बंदरगाहों और निजी क्षेत्र को करना होगा।

उड़ान क्षेत्रीय संपर्क स्कीम

- अगले 10 वर्ष में 120 नए गंतव्यों और 4 करोड़ यात्रियों को लाने-ले-जाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की संशोधित उड़ान स्कीम की घोषणा।
- पर्वतीय आकांक्षी और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों को भी समर्थन दिया जाएगा।

बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट

- बिहार में ग्रीन पटना एयरपोर्ट और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार के अलावा बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की घोषणा।

मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना

- बिहार में पश्चिमी कोशी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।

खनन क्षेत्र सुधार

- टेलिंग से महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी के लिए नीति बनाई जाएगी।

स्वामिह फंड टू

- सरकार बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान के साथ 1 लाख और आवासीय इकाईयों को पूरा करने के कार्य में तेजी करने के उद्देश्य से 15 हजार करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा।

रोजगार आधारित वृद्धि के लिए पर्यटन

- चुनौती मोड के जरिये राज्यों की भागीदारी से देश में 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा।

<u>III. नवाचार में निवेश</u>

अनुसंधान, विकास और नवाचार

- पिछले वर्ष जुलाई के बजट में घोषित निजी क्षेत्र संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहल को लागू करने के लिए 20 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे।

डीपटैक फंड ऑफ फंड्स

- अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को प्रोत्साहन के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की संभावना तलाशी जाएगी।

प्रधानमंत्री अनुसंधान फैलोशिप

- बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के साथ आईआईटी और आईआईएस में प्रौद्योगिकीय अनुसंधान के लिए 10 हजार फैलोशिप।

फसल जर्मप्लाज्म के लिए जीन बैंक

- भावी खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइंस के साथ दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा।

नेशनल जियो स्पेटियल मिशन

- बुनियादी जियो स्पेटियल अवसंरचना और डाटा विकसित करने के लिए नेशनल जियो स्पेटियल मिशन की घोषणा।

ज्ञान भारतम मिशन

- शैक्षिक संस्थानों, संग्रहालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, प्रलेखन और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन बनाने का प्रस्ताव। इसके तहत 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां शामिल की जाएंगी।

<u>विकास के चतुर्थ इंजन के रूप में निर्यात</u>

निर्यात संवर्द्धन मिशन

- वाणिज्य मंत्रालय एमएसएमई और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित निर्यात संवर्द्धन मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव। इसके तहत अलग-अलग क्षेत्रों और मंत्रालयों के लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे।

भारत ट्रेडनेट

- व्यापार प्रलेखन और वित्त पोषण समाधानों के लिए संयुक्त मंच के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेडनेट (बीटीएन) स्थापित किया जाएगा।

जीसीसी के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा

- ऊभरते टियर-2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों के मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार की जाएगी।

<u>फ्यूल के रूप में सुधार : वितीय क्षेत्र सुधार और विकास</u>

बीमा क्षेत्र में एफडीआई

- भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करने वाली कंपनियों के लिए बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी।

एनएबीएफआईडी द्वारा क्रेडिट वृद्धि सुविधा

- एनएबीएफआईडी अवसंरचना के लिए कॉरपोरेट बॉड के उद्देश्य से आंशिक ऋण वृद्धि सुविधा स्थापित करेगा।

ग्रामीण क्रेडिट स्कोर

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसएचजी सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए "ग्रामीण क्रेडिट स्कोर" फ्रेमवर्क विकसित करेंगे।

पेंशन क्षेत्र

- पेंशन उत्पादों के विनियमित समन्वय और विकास के लिए एक फोरम की स्थापना का प्रस्ताव।

विनियामक सुधार हेतु उच्चस्तरीय समिति

- सभी गैर वित्तीय क्षेत्र संबंधी नियमों, प्रमाण लाइसेंस और अनुमति की समीक्षा करने के लिए विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव।

राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक

- प्रतिस्पर्धी समन्वित संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू किया जाएगा।

जन विश्वास विधेयक 2.0

- जन विश्वास विधेयक 2.0 में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने के लिए प्रस्ताव।

खंड बी

<u>प्रत्यक्ष कर</u>

- नई कर व्यवस्था के अन्तर्गत 12 लाख रुपए तक की आय (अर्थात विशिष्ट दर जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपये प्रतिमाह की औसत आय) पर कोई आयकर देय नहीं होगा।
- वेतनभोगी कर दाताओं के लिए यह यह सीमा 75 हजार रुपये की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपये होगी।
- यह नई संरचना मध्यम वर्ग के करों को काफी कम करेगी और घरेलू उपयोग, वचत तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धन राशि उपलब्ध होगी।
- नया आयकर विधेयक भी अध्यायों और शब्दों दोनों की दृष्टि से सुस्पष्ट और प्रत्यक्ष होगा। यह करदाताओं और कर प्रशासन के लिए समझने में आसान होगा, जिससे कर सुनिश्चितता आएगी और मुकदमेबाजी कम होगी।
- प्रत्यक्ष करों में लगभग एक लाख करोड़ रुपये का परित्याग होगा।

- **संशोधित कर संरचना**
- नई कर व्यवस्था में संशोधित कर संरचना निम्नानुसार होगी।

0-4 लाख रुपए	शून्य

4-8 लाख रुपए	5 प्रतिशत
8-12 लाख रुपए	10 प्रतिशत
12-16 लाख रुपए	15 प्रतिशत
16-20 लाख रुपए	20 प्रतिशत
20-24 लाख रुपए	25 प्रतिशत
24 लाख रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

- **टीडीएस/टीसीएस को तर्क संगत बनाना**
    - **टीडीएस की दरों और सीमाओं की संख्या कम कर उसे तर्क संगत बनाना**
    - **वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से दो गुनी बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जा रही है।**
    - **किराये पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये की गई।**
    - **भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत धनप्रेषण स्कीम (एलआरएस) के अंतर्गत धनप्रेषणों पर टीसीएस की सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया है।**
    - **उच्च टीडीएस कटौती के प्रावधान केवल गैर-पैन मामलों पर ही लागू होंगे।**
    - **विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख तक टीसीएस के भुगतान में विलंब को गैर-आपराधिक घोषित करने का प्रावधान।**

- **अनुपालन बोझ को कम करना**
    - **छोटे धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं की पंजीकृत अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष से 10 वर्ष कर ऐसी संस्थाओं के अनुपालन संबंधी बोझ को कम किया गया।**
    - **कर दाताओं को अपने स्वामित्व वाली संपत्तियों के लिए शून्य वार्षिक मूल्य का दावा बिना किसी शर्त के ऐसी दो संपत्तियों के लाभ की अनुमति का प्रस्ताव।**

- **व्यवसाय करने की सुगमता**
    - तीन वर्षों की ब्लॉक अवधि के लिए अंतराष्ट्रीय लेन-देन के मामलों में आर्म्स लेन्थ मूल्य निर्धारण करते हेतु एक योजना की शुरुआत।
    - अंतरराष्ट्रीय कराधान में विवादों को कम करने तथा निश्चितता को बनाए रखने के लिए सेफ हार्बर नियमों के दायरे का विस्तार।
    - 29 अगस्त 2024 को या उससे पश्चात व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय बचत स्कीम (एनएसएस) से किए गए आहरण पर छूट।
    - एनपीएस वात्सल्य खातों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था का प्रस्ताव जो समग्र सीमाओं के अधीन सामान्य एनपीएस खातों के लिए उपलब्ध है।

- **रोजगार एवं निवेश**

इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण स्कीमों के लिए निश्चिचता

- उन अनिवासियों के लिए प्रकल्पित कराधान व्यवस्था का प्रस्ताव जो ऐसी निवासी कंपनी को सेवाएं प्रदान करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सुविधा स्थापित या संचालित कर रही है।

विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकाइयों की आपूर्ति के लिए उपकरण घटकों को स्टोर करने वाले अनिवासियों की कर निश्चितता के लिए सुरक्षित बंदरगाह सेवा आरंभ की गई है।

अन्तर्देशीय जहाजों के लिए टन भार योजना

देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा टन भार कर योजना के लाभों को भारतीय पोत अधिनियम, 2021 के अंतर्गत पंजीकृत अन्तर्देशीय जलयानों के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है।

स्टार्ट-अप के निगमन का विस्तार

1.4.2030 से पहले निगमित होने वाले भारतीय स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को 5 वर्षों तक अवधि का विस्तार कर स्टार्ट-अप लाभ प्रदान किए गए हैं।

वैकल्पिक निवेश निधियां (एआईएफ)

श्रेणी-1 और श्रेणी-2 एआईएफ अवसंरचना और ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में निवेश निकायों को प्रतिभूतियों से होने वाले लाभों पर कराधान की निश्चितता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।

सॉवरेन और पेंशन निधियों के लिए निवेश तिथि का विस्तार

सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन निधियों द्वारा अवसंरचना क्षेत्र में वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए निवेश करने की तारीख 5 वर्ष बढ़ाकर 31, मार्च, 2030 तक करने का प्रस्ताव है।

अप्रत्यक्ष कर

औद्योगिक वस्तुओं के सीमा शुल्क ढांचे का युक्तिकरण

केंद्रीय बजट 2025-26 के प्रस्तावों में

1. 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। यह 2023-24 के बजट में हटाई गई सात टैरिफ दरों के अतिरिक्त है। इसके बाद, शेष बची टैरिफ दरें 'शून्य' दर सहित आठ रह जाएंगी।
2. मोटे तौर पर प्रभावी शुल्क दायित्व बनाए रखने के लिए कुछ मदों, जहां ऐसा दायित्व मामूली रूप से कम होगा, को छोड़कर उपयुक्त कर लगाने का प्रस्ताव है।
3. एक से अधिक उपकर अथवा अधिभार न लगाने का प्रस्ताव है। उपकर के अधीन 82 टैरिफ लाइनों पर समाज कल्याण अधिभार से छूट दी जाएगी।

अप्रत्यक्ष करों में 2600 करोड़ रुपये के राजस्व का परित्याग होगा

औषधि/दवाओं के आयात पर राहत

- 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट
- 6 जीवन रक्षक दवाएं 5 प्रतिशत के रियायती सीमा-शुल्क दवाओं में शामिल
- औषध कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले रोगी सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत विशिष्ट औषधियां और दवाएं बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त। 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों के साथ ही 37 अन्य दवाओं को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव

घरेलू विनिर्माण और मूल्य वर्धन को सहायता

- **महत्वपूर्ण खनिज**
    - कोबाल्ट पाउडर और लिथियम आयन बैट्री के अवशिष्ट, लेड, जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट
- **वस्त्र**
    - घरेलू तकनीकी वस्त्र उत्पादों को बढ़ावा
    - दो अन्य प्रकार के शटल-रहित करघों वाली टेक्सटाइल मशीनरी सीमा शुल्क से मुक्त
    - बुने हुए वस्त्रों पर 10 प्रतिशत या 20 प्रतिशत के बुनियादी सीमा शुल्क को संशोधित कर 20 प्रतिशत अथवा 115 रुपये प्रति किलोग्राम में जो भी अधिक हो करने का प्रस्ताव
- **इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं**
    - इन्टेरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बुनियादी सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया
    - ओपेन सेल्स और अन्य घटकों पर बुनियादी सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव
    - ओपेन सेल्स के अन्य घटकों पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट
- **लिथियम आयन बैट्री**

- इलेक्ट्रिक वाहनों के बैट्री के विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल फोन बैट्री विनिर्माण हेतु 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट

- **पोत परिवहन क्षेत्र**
    - पोत निर्माण में कच्चे माल, घटकों, उपभोज्यों अथवा पुर्जों पर अगले दस वर्षों तक बुनियादी सीमा शुल्क में छूट
    - पुराने पोतों के लिए भी ऐसी ही छूट
- **दूरसंचार**

◦ कैरियर ग्रेड इथरनेट स्वीच पर बुनियादी सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत पर लाया गया

निर्यात संवर्धन

- **हस्तशिल्प वस्तुएं**

◦ हस्तशिल्प की निर्यात अवधि 6 महीने से बढ़ाकर एक वर्ष की गई, आवश्यकता पड़ने पर आगे तीन महीनों के लिए और बढ़ाई जा सकती है

◦ शुल्क मुक्त वस्तुओं की सूची में नौ और वस्तुएं शामिल की गईं

- **चमड़े की वस्तुएं**
    - वेट ब्लू लेदर पर बुनियादी सीमा शुल्क में पूर्ण छूट
    - क्रश लेदर को 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क से छूट
- **समुद्री उत्पाद**

◦ फ्रोजन फिश पेस्ट (सुरीमी) और ऐसे ही उत्पादों के निर्यात पर बुनियादी सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया

◦ मछली और झींगा के आहार बनाने के लिए फिश हाइड्रोलीसेट पर बुनियादी सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया

- **रेल वस्तुओं के लिए घरेलू एमआरओ**
- रेल वस्तुओं के लिए घरेलू एमआरओ में वायुयानों और जलपोतों के मरम्मत के लिए आयातित एमआरओ के समान ही छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा
- ऐसी वस्तुओं के निर्यात की समय-सीमा छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष की गई जिसे आगे एक वर्ष और बढ़ाई जा सकती है

व्यापार सुविधा

- प्रोविजनल कर निर्धारण की समय-सीमा
- व्यवसाय प्रोविजनल कर निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए दो वर्ष की समय-सीमा तय करने का प्रस्ताव जिसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है

- **स्वैच्छिक अनुपालन**

◦ आयातक या निर्यातक की सुविधा के लिए माल की मंजूरी के बाद स्वेच्छा से महत्वपूर्ण तथ्यों की घोषणा कर सकते हैं और जुर्माने के बिना ब्याज सहित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं

- **अंतिम उपयोग की समय-सीमा बढ़ाई गई**
    - आयातित वस्तुओं के अंतिम उपयोग की समय-सीमा 6 महीने से बढ़ाकर एक वर्ष की गई
    - ऐसे आयातकों को मासिक विवरण की बजाय केवल तिमाही विवरण दाखिल करना होगा

***

एनबी/एमजी/हिन्दी इकाई- 21

(रिलीज़ आईडी: 2098356) आगंतुक पटल : 480

वित्त मंत्रालय

Azadi Ka Amrit Mahotsav

नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं

75,000 रुपये की मानक कटौती के साथ वेतनभोगी करदाताओं के लिए 12.75 लाख रुपये की सीमा

केन्द्रीय बजट 2025-26 में सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए आयकर स्लैब और दरों में व्यापक बदलाव

स्लैब दरों में कटौती एवं छूट से मध्यम वर्ग को व्यापक कर राहत, जिससे घरेलू उपभोग व्यय एवं निवेश को मजबूती मिलेगी

प्रविष्टि तिथि: 01 FEB 2025 1:30PM by PIB Delhi

"विश्वास पहले, जांच बाद में" के दर्शन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, केन्द्रीय बजट 2025-26 ने मध्यम वर्ग पर भरोसा जताया है और आम करदाताओं को करों के बोझ से राहत दिलाने के रुझान को जारी रखा है। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2025 को संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने हेतु करों के स्लैब एवं दरों में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव किया।

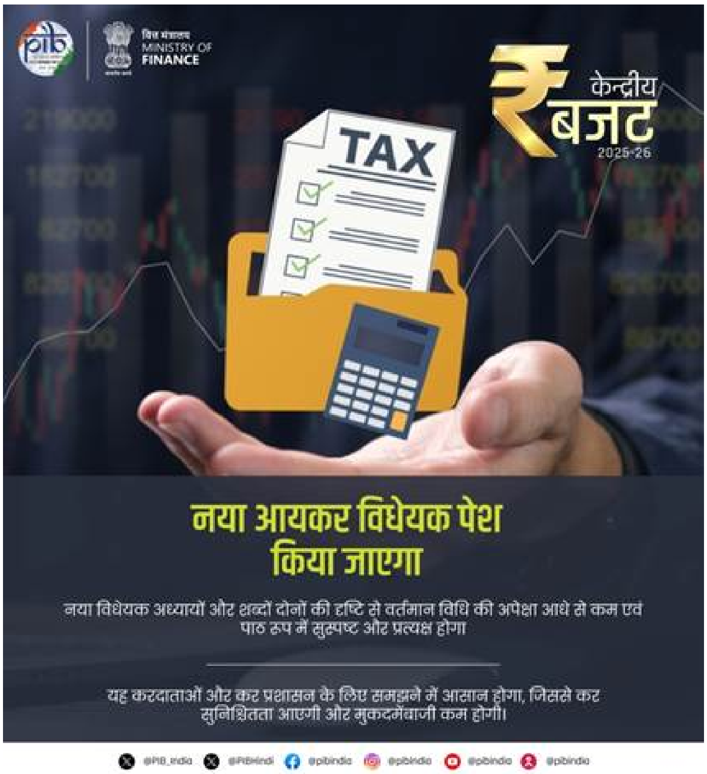

करदाताओं को खुशखबरी देते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि "नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय (यानी पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय को छोड़कर एक लाख रुपये की औसत आय) पर कोई आयकर देय नहीं होगा। 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण वेतनभोगी आयकरदाताओं के लिए सीमा 12.75 लाख रुपये की होगी।" उन्होंने कहा कि स्लैब दरों में कटौती के कारण मिलने वाले लाभों के अलावा कर में छूट इस ढंग से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कर का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

श्रीमती सीतारमण ने कहा, "नई कर संरचना मध्यम वर्ग के लिए व्यापक रूप से करों के बोझ को कम करेगी और उनके हाथों में ज्यादा धन उपलब्ध कराएगी, जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।" नई कर व्यवस्था के तहत, वित्त मंत्री ने करों की दर संरचना में निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव किया:

0-4 लाख रुपए	शून्य
4-8 लाख रुपए	5 प्रतिशत
8-12 लाख रुपए	10 प्रतिशत
12-16 लाख रुपए	15 प्रतिशत
16-20 लाख रुपए	20 प्रतिशत
20-24 लाख रुपए	25 प्रतिशत
24 लाख रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

आय के विभिन्न स्तरों के लिए स्लैब दरों में बदलाव एवं छूट से होने वाले कुल कर लाभों का विवरण नीचे दिये गये तालिका में इस प्रकार है:

आय	**स्लैब और दर पर कर**		**लाभ**	**छूट के लाभ**	**कुल लाभ**	**छूट लाभ के पश्चात कर**
	वर्तमान	**प्रस्तावित**	**दर/स्लैब**	**12 लाख रुपये तक पूर्ण**		
8 लाख	30,000	20,000	10,000	20,000	30,000	0
9 लाख	40,000	30,000	10,000	30,000	40,000	0
10 लाख	50,000	40,000	10,000	40,000	50,000	0
11 लाख	65,000	50,000	15,000	50,000	65,000	0
12 लाख	80,000	60,000	20,000	60,000	80,000	0
16 लाख	1,70,000	1,20,000	50,000	0	50,000	1,20,000
20 लाख	2,90,000	2,00,000	90,000	0	90,000	2,00,000
24 लाख	4,10,000	3,00,000	1,10,000	0	1,10,000	3,00,000
50 लाख	11,90,000	10,80,000	1,10,000	0	1,10,000	10,80,000

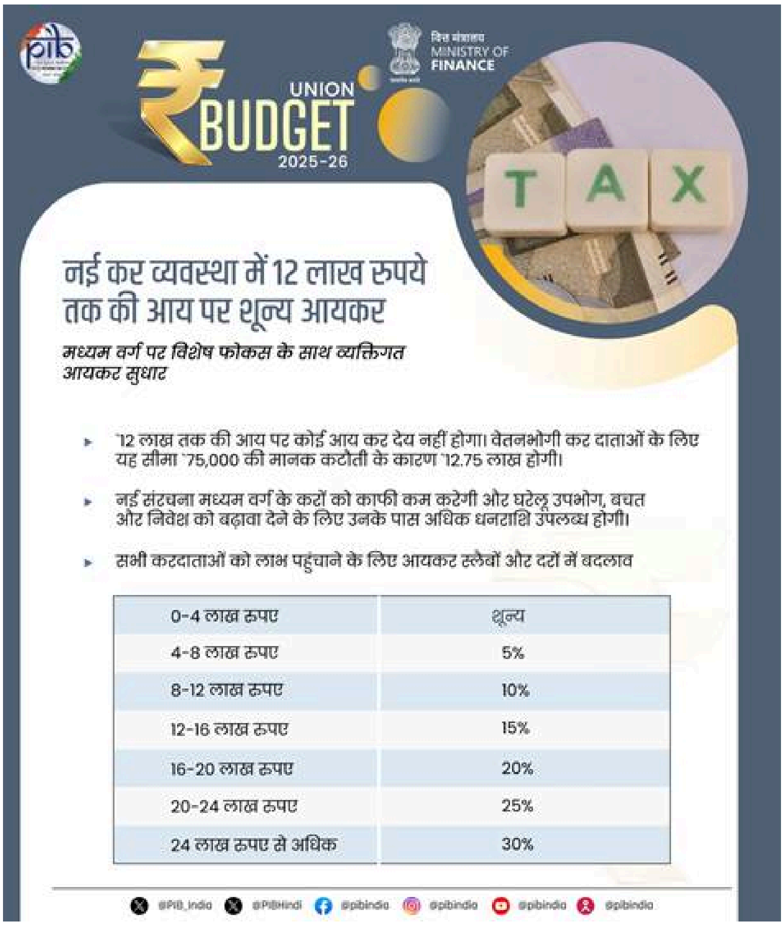

कर सुधारों को विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सुधारों में से एक के तौर पर रेखांकित करते हुए, श्रीमती सीतारमण ने कहा कि नया आयकर विधेयक 'न्याय' की भावना को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था करदाताओं एवं कर प्रशासन के लिए समझने की दृष्टि से सरल होगी, जिससे कर की सुनिश्चितता बढ़ेगी और मुकदमेबाजी में कमी आयेगी।

थिरुक्कुरल के 542वें श्लोक को उद्धृत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, "जैसे जीवित प्राणी वर्षा की आशा में जीते हैं, वैसे ही नागरिक सुशासन की आशा में जीते हैं।" कर सुधार लोगों एवं अर्थव्यवस्था के लिए सुशासन हासिल करने का एक साधन हैं। सुशासन प्रदान करने की प्रक्रिया में मुख्य रूप से जवाबदेही का समावेश होता है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि कर संबंधी ये प्रस्ताव विस्तार से इस बात को दर्शाते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने नागरिकों द्वारा व्यक्त आवश्यककताओं को समझने और उन्हें पूरा करने के लिए किस प्रकार कदम उठाए हैं।

***

एनबी/एमजी/हिंदी इकाई-02

(रिलीज़ आईडी: 2098407) आगंतुक पटल : 117

भारत की विकास यात्रा के लिए कृषि प्रथम इंजन है: बजट 2025-26

बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी

उच्च पैदावार वाले बीजों पर राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया जाएगा

दूसरे 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना की जाएगी

कपास उत्पादकता के लिए पांच वर्षीय अभियान की घोषणा की गई

किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया

असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन उर्वरक संयंत्र की स्थापना की जाएगी

अंडमान तथा निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपों पर दीर्घकालिक मत्स्य संवर्धन के लिए नए अनुकूल फ्रेमवर्क पर विशेष ध्यान दिया जाएगा

प्रविष्टि तिथि: 01 FEB 2025 1:28PM by PIB Delhi

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2025 को संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए भारत की विकास यात्रा के लिए 'कृषि को प्रथम इंजन' की संज्ञा देते हुए **अन्नदाताओं के लाभ के लिए कृषि क्षेत्र के विकास और उत्पादकता में वृद्धि के लिए कई उपायों की घोषणा की।**

बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना के सरकार के निर्णय की घोषणा करते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि **मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए** बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन कार्यकलापों में लगे लोगों को एफपीओ में संगठित किया जाएगा। **यह बोर्ड मखाना किसानों को पथ-प्रदर्शन और प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध** कराएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कार्य करेगा कि उन्हें सभी संगत सरकारी योजनाओं के लाभ मिले।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य अनुसंधान परिवेश को बढ़ावा देना, उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूलन के गुणों से संपन्न बीजों का लक्षित विकास और प्रचार करना तथा जुलाई 2024 से जारी किए गए बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना होगा।

उन्होंने कहा कि भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइनों के साथ **दूसरे जीन बैंक** की स्थापना की जाएगी। यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को अनुवांशिक अनुसंधान के लिए संरक्षण सहायता प्रदान करेगी।

कपास उत्पादकता के लिए अभियान की घोषणा करते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस पंच-वर्षीय मिशन से **कपास कृषि की उत्पादकता और वहनीयता में पर्याप्त सुधार लाने में मदद मिलेगी और कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों** को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को **विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सर्वोत्तम सहायता** उपलब्ध कराई जाएगी। वस्त्र क्षेत्र के लिए हमारे 5एफ के समेकित विज़न के अनुरूप, इससे **किसानों की आय बढ़ाने में सहायता** मिलेगी और भारत के परंपरागत वस्त्र क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए **गुणवत्तापूर्ण कपास की निरंतर आपूर्ति** सुनिश्चित होगी।

करीब 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए लघु अवधि ऋणों की सुविधा उपलब्ध कराने में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की महत्ता का उल्लेख करते हुए मंत्री महोदया ने **संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये** करने की घोषणा की।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने **असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता के साथ एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना** की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र के साथ-साथ पूर्वी क्षेत्र में निष्क्रिय पड़े तीन यूरिया संयंत्रों में उत्पादन को पुनः प्रारंभ करने से यूरिया की आपूर्ति को और अधिक बढ़ाने के साथ-साथ उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने में सहायता मिलेगी।

समुद्री खाद्य निर्यात के मामले में **60 हजार करोड़ रुपये मूल्य के मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व में भारत के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश** का उल्लेख करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र की अप्रयुक्त संभावनाओं के द्वार खोलने के लिए, हमारी सरकार अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के साथ **भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और गहरे समुद्रों से सतत मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल फ्रेमवर्क** लाएगी।

***

एनबी/एमजी/हिंदी इकाई-14

(रिलीज़ आईडी: 2098405) आगंतुक पटल : 42

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना 100 कम फसल उत्पादकता वाले जिलों में आरंभ की जाएगी, योजना 1.7 करोड़ किसानों की फसल उत्पादकाता बढ़ाने, सिंचाई की सुविधा बेहतर बनाने और दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन ऋण व्यवस्था सुधार में सहायक होगी

कृषि क्षेत्र में कम रोजगार के समाधान, कौशल उन्नयन, निवेश और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु ग्रामीण सम्पन्नता और स्थिति अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम की घोषणा

दालों में आत्मनिर्भरता के लिए छह वर्षीय ''दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन'', जलवायु अनुकूल बीज विकसित करने पर जोर, उपज भंडारण में सुधार, किसानों को समुचित मूल्य सुनिश्चित करने का लक्ष्य

केंद्रीय बजट में सब्जियों और फलों का उत्पादन बढ़ाने, सक्षम आपूर्ति सुनिश्चित करने, प्रसंस्करण तथा किसानों को समुचित मूल्य सुनिश्चित करने की योजना

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ग्रामीण ऋण स्कोर विकसित करेंगे, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण आबादी की ऋण आवश्यकताओं के लिए ढांचा तैयार करेंगे

प्रविष्टि तिथि: 01 FEB 2025 1:26PM by PIB Delhi

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट में विकास के चार महत्वपूर्ण इंजन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निवेश और निर्यात के साथ ही कृषि क्षेत्र के विकास में गति लाने और उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य शामिल हैं।

कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने और स्थिति अनुकूलता के लिए केंद्रीय बजट में निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव शामिल किए गए हैं।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कृषि जिलों को विकसित करना

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर सरकार राज्यों की भागीदारी में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना आरंभ करेगी। इस कार्यक्रम में मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों के अभिसरण के माध्यम से कम उत्पादकता वाले, कम फसलों की बुआई और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य संवर्धित कृषि उत्पादकता, फसल विविधता तथा सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत और प्रखंड स्तर पर उपज भंडारण बढ़ाना, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करना और दीर्घअवधि और लघुअवधि ऋण की उपलब्धतता सुगम बनाना है। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है।

ग्रामीण सम्पन्नता और अनुकूलता निर्माण:

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण सम्पन्नता और अनुकूलता कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इससे कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार की समस्या का समाधान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचूर अवसर पैदा करना है ताकि पलायन विकल्प हो न कि अनिवार्यता। वित्त मंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, लघु काश्तकारों और छोटे किसानों तथा भूमिहीन परिवारों के कल्याण पर केंद्रित होगा। यह कार्यक्रम उद्यम विकास की गति को उत्प्रेरित करने, ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार एवं वित्तीय स्वतंत्रता, युवा कृषकों और ग्रामीण युवाओं के लिए नए रोजगार और व्यवसाय उत्पन्न करने, उत्पादन बढ़ाने तथा भंडारण संबंधी कृषि के अधुनिकीकरण में सहायक होगा। यह कार्यक्रम खासतौर पर छोटे किसानों और लघु काश्तकारों और भूमिहीन परिवारों को विविध अवसर प्रदान करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक और घरेलू पद्धतियों को शामिल किया जाएगा तथा बहुक्षेत्रीय विकास बैंकों से तकनीकी और वित्तीय सहायता मांगी जाएगी। पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिले इसके दायरे में आएंगे।

दलहन में आत्मनिर्भरता

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन कार्यान्वित कर रही है। सरकार ने दलहन के क्षेत्र में ठोस प्रयास कर इसमें लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सफलता पाई है। किसानों ने 50 प्रतिशत तक अपने फसल क्षेत्र में इसकी काश्तकारी बढ़ाकर इसमें सहयोग दिया है। सरकार ने दलहन की खरीद और लाभकारी मूल्यों की व्यवस्था भी की है। तब से आय में वृद्धि और बेहतर आर्थिक क्षमता के साथ दलहन की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार तुअर, उड़द और मसूर दालों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए छह वर्षीय ''दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन'' प्रारंभ करेगी। केंद्रीय एजेंसियों (नेफेड और एनसीसीएफ) में पंजीकरण और इनसे करार करने वाले किसानों से अगले चार वर्षों के दौरान ये एजेंसियां इन तीन दलहनों की पर्याप्त मात्रा में खरीद के लिए तैयार रहेंगी।

सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि यह काफी उत्साहजनक है कि लोग अब पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में लगातार जागरुक हो रहे हैं। यह समाज के स्वस्थ बनने की निशानी है। वित्त मंत्री ने कहा कि आय के स्तर बढ़ने के साथ ही सब्जियों, फलों और श्रीअन्न का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ाने, प्रभावी आपूर्तियों, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने हेतु राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त संस्थानिक तंत्र स्थापित किया जाएगा जिसमें किसान उत्पादन संगठनों और सहकारी समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

ग्रामीण क्रेडिट स्कोर:

वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ऋण आवश्यकताओं के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर का ढांचा तैयार करेंगे।

***

एनबी/एमजी/हिन्दी इकाई-6

(रिलीज़ आईडी: 2098403) आगंतुक पटल : 46

बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा में 74 फीसदी से 100 फीसदी तक की वृद्धि

पेंशन उत्पादों के विनियमित समन्वय और विकास के लिए एक फोरम का गठन किया जाएगाः केन्द्रीय बजट 2025-26

2025 में प्रस्तावित संशोधित केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री का शुभारंभ

कम्पनी विलय की त्वरित स्वीकृति के लिए प्रक्रियाओं को सरलीकृत किया जाएगा

प्रविष्टि तिथि: 01 FEB 2025 1:25PM by PIB Delhi

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2025 को संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि अगले पांच वर्षों के दौरान बजट 2025-26 का उद्देश्य सभी छः क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधारों की पहल करना है इससे हमारी वृद्धि क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़ोतरी होगी।

इन क्षेत्रों में से एक वित्त क्षेत्र है, जिसमें बीमा, पेंशन, द्विपक्षीय, निवेश, संधिया (बीटीटी) और इससे जुड़े अन्य क्षेत्र शामिल हैं।

बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी किया जाएगा। यह बढ़ी हुई सीमा उन कम्पनियों के लिए उपलब्ध होगी, जो भारत में सम्पूर्ण प्रीमियम का निवेश करेंगी। विदेशी निवेश से जुड़ी वर्तमान सीमाओं और प्रतिबंधिताओं की समीक्षा करते हुए उन्हें सरल बनाया जाएगा।

पेंशन क्षेत्र

वित्त मंत्री ने कहा कि नियामक समन्वय और पेंशन उत्पादों के विकास के लिए एक फोरम का गठन किया जाएगा।

केवाईसी सरलीकरण

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि केवाईसी प्रकिया को सरल बनाने के संबंध में की गई पूर्व घोषणा के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2025 में केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री का पुनरुद्धार किया जाएगा। आवधिक अद्यतनीकरण के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली लागू की जाएगी।

कम्पनियों का विलय

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनियों के विलय की त्वरित अनुमोदन संबंधी आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाया जाएगा। शीघ्र विलय के दायरे में भी विस्तार किया जाएगा और प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

द्विपक्षीय निवेश संधियां

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सतत विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और 'फर्स्ट डेवलप इंडिया' की भावना से वर्तमान मॉडल बीआईटी का पुनरुद्धार करके इसे और अधिक निवेशक अनुकूल बनाया जाएगा।

***

एनबी/एमजी/हिंदी इकाई-08

(रिलीज़ आईडी: 2098400) आगंतुक पटल : 25

'मेक इन इंडिया' को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी - केंद्रीय बजट-2025-26 में घोषणा

फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस उत्पाद स्कीम 22 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करेगी

भारत को 'वैश्विक खिलौना केंद्र' बनाने के लिए राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना

प्रविष्टि तिथि: 01 FEB 2025 1:23PM by PIB Delhi

'मेक इन इंडिया' को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी। यह घोषणा केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी, 2025 को संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए की। यह केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के लिए नीतिगत सहायता, निष्पादन कार्ययोजनाएं, शासन और निगरानी फ्रेमवर्क उपलब्ध कराएगा।

राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात् व्यवसाय करने की सुगमता और लागत; मांग वाली नौकरियों के लिए भावी तैयार कार्यबल; जीवंत और गतिशील एमएसएमई क्षेत्र; प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और गुणवत्ता युक्त उत्पाद पर बल देगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि यह मिशन स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण को भी सहायता प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य घरेलू मूल्यवर्धन में पर्याप्त सुधार करना और सोलर पीवी सेल, ईवी बैटरी, मोटरों और कंट्रोलरों, इलेक्ट्रोलाइजरों, विंड टर्बाइनों, अत्यधिक वोल्टेज वाले ट्रांसमिशन उपकरण और ग्रिड स्केल बैटरियों का इकोसिस्टम तैयार करना होगा।

वित्त मंत्री ने श्रम-सघन क्षेत्रों के लिए उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार श्रम-सघन क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट नीतिगत और सहायक उपाय करेगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु फोकस उत्पाद स्कीम कार्यान्वित की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि इस स्कीम में लेदर फुटवियर और उत्पादों के लिए सहायता के अलावा बिना लेदर वाले गुणवत्तापूर्ण फुटवियर के उत्पादन हेतु आवश्यक डिजाइन क्षमता, घटक विनिर्माण और मशीनों के लिए सहायता दी जाएगी। इस स्कीम से 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने, `4 लाख करोड़ का कारोबार और `1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात होने की उम्मीद है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारत को 'वैश्विक खिलौना केंद्र' बनाने के लिए राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया। इस योजना में क्लस्टरों, कौशलों और ऐसे विनिर्माण इको-सिस्टम के विकास पर जोर दिया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले ऐसे अनूठे, नवीन और पर्यावरण अनुकूल खिलौने बनेंगे, जो 'मेड इन इंडिया' ब्रांड का प्रतिनिधित्व करेंगे।

खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने पूर्वोदय' के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्री ने बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया। इस संस्थान से समूचे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण कार्यकलापों को पुरजोर बढ़ावा मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप किसानों के उत्पादों के मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी आमदनी बढ़ेगी, और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

***

एनबी/एमजी/हिन्दी इकाई-11

(रिलीज़ आईडी: 2098398) आगंतुक पटल : 34

सभी एमएसएमई के लिए वर्गीकरण से संबंधित निवेश और कारोबार की सीमाओं को क्रमशः 2.5 और 2 गुणा तक बढ़ाया जाएगा

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया गया

उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए पहले साल में 5 लाख रुपए की सीमा वाले 10 लाख विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे

स्टार्टअप्स के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की राशि के साथ नया फंड बनाया जाएगा

महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से 5 लाख नए उद्यमियों को अगले पांच वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराने के लिए नई योजना शुरू की जाएगी

निर्यात क्रेडिट तक आसान पहुंच और एमएसएमई की मदद के लिए निर्यात संवर्द्धन मिशन शुरू किया जाएगा ताकि विदेशी बाजारों में गैर-टैरिफ समस्याओं से निपटा जा सके

प्रविष्टि तिथि: 01 FEB 2025 1:21PM by PIB Delhi

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास और विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करते हुए ‘सबका विकास’ के सपने को अगले पांच साल में साकार करने में केंद्रीय बजट 2025-26 अनूठा अवसर प्रदान करेगा। केंद्रीय बजट में एमएसएमई को राष्ट्र की विकास गाथा में शक्तिशाली साधनों में से एक के रूप में परिभाषित किया गया है। बजट में विकास को तेज करने तथा समेकित विकास सुनिश्चित करने में एमएसएमई की मदद के लिए कई विकास उपाय प्रस्तावित किए गए हैं।

<u>एमएसएमई के वर्गीकरण पद्धति में संशोधन</u>

संसद में बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई को अधिक व्यापक पैमाने पर दक्षता, प्रौद्योगिकीय उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच की सुविधा पाने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से सभी एमएसएमई के लिए वर्गीकरण से संबंधित निवेश और कारोबार की सीमाओं को क्रमशः 2.5 और 2 गुणा तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे उन्हें बड़े उद्यम बनने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने का आत्मविश्वास प्राप्त होगा। विवरण सारणी 1 में दिया गया है।

रुपए करोड़ में	**निवेश**		**कारोबार**	
सूक्ष्म उद्यम	**1**	**2.5**	**5**	**10**
लघु उद्यम	**10**	**25**	**50**	**100**
मध्यम उद्यम	**50**	**125**	**250**	**500**

(सारणी 1)

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान में 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले और हमारे विनिर्माण में 36 प्रतिशत का योगदान करने वाले एक करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई मिलकर भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ये एमएसएमई अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के साथ हमारे निर्यात में 45 प्रतिशत योगदान कर रहे हैं।

गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा:

क) **सूक्ष्म और लघु उद्यमों** के लिए 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होंगे;

ख) **स्टार्ट-अप** के लिए, 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 प्रमुख क्षेत्रों में ऋणों के लिए गारंटी शुल्क कम करके 1 प्रतिशत किया जाएगा; और

ग) **उत्तम तरह से चल रहे निर्यातक एमएसएमई** के लिए 20 करोड़ रुपए तक के सावधि ऋण।

सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे।

स्टार्ट-अप के लिए निधियों का कोष

अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा, "स्टार्ट-अप के लिए वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) को 91,000 करोड़ से अधिक की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं। इन्हें 10,000 करोड़ रुपए के सरकारी अंशदान से स्थापित निधियों के कोष की सहायता प्राप्त है।" उन्होंने कहा कि अब विस्तारित कार्यक्षेत्र और 10,000 करोड़ रुपए के नए अंशदान के साथ निधियों के नए कोष की स्थापना की जाएगी।

नए उद्यमियों के लिए नई योजना

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पांच लाख नए उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण उपलब्ध होगा। अपने भाषण में उन्होंने कहा, "इस योजना में सफल स्टैंड-अप इंडिया स्कीम से प्राप्त अनुभवों को शामिल किया जाएगा। उद्यमशीलता और प्रबंधकीय कौशलों के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।"

डीप टेक निधियों का कोष

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस पहल के एक हिस्से के रूप में अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को उत्प्रेरित करने के लिए डीप टेक निधियों के कोष पर भी विचार किया जाएगा।

निर्यात संवर्धन मिशन

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्षेत्रीय और मंत्रालयी लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन शुरू किया जाएगा, जिसे वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय संयुक्त रूप से चलाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस मिशन से निर्यात ऋण तक आसान पहुंच और क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सहायता की सुविधा प्राप्त होगी और एमएसएमई को विदेशी बाजारों में गैर-टैरिफ की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।

***

एनबी/एमजी/हिन्दी इकाई- 09

(रिलीज़ आईडी: 2098396) आगंतुक पटल : 30

Azadi Ka Amrit Mahotsav

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए व्यापार प्रलेखीकरण और वित्तीय सामाधानों के लिए संयुक्त प्लेटफार्म के रूप में ‘भारतट्रेडनेट’ की स्थापना की जाएगीः केन्द्रीय बजट 2025-26

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाई जाएगी

सरकार उद्योग 4.0 के अवसर बढ़ाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग को सहायता प्रदान करेगी

उभरते हुए टियर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केन्द्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा

प्रविष्टि तिथि: 01 FEB 2025 1:19PM by PIB Delhi

सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास की गति में तेजी लाकर ‘सबका विकास’ को हकीकत में बदलने की अपनी यात्रा में, **निर्यात** भारत की विकास गाथा का एक शक्तिशाली इंजन बन गया। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में पेश किए गए केन्द्रीय बजट 2025-26 का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण में परिवर्तनकारी सुधार शुरू करना और भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ना है।

<u>भारतट्रेडनेट</u>

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, ‘भारतट्रेडनेट’ (बीटीएन) **व्यापार प्रलेखीकरण और वित्तीय सामाधानों के लिए संयुक्त प्लेटफार्म** के रूप में ‘भारतट्रेडनेट’ की स्थापना करने का प्रस्ताव है। अपने बजट भाषण में श्रीमती सीतारमण ने कहा, “यह बीटीएन एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म में सहायता प्रदान करेगी और बीटीएन को अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रणाली के साथ सुसंगत बनाया जाएगा।”

<u>भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ना</u>

वित्त मंत्री ने केन्द्रीय बजट 2025-26 में घोषणा की कि घरेलू विनिर्माण क्षमताएं विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ा जा सके। इस दिशा में, क्षेत्रों की वस्तुनिष्ठ मानदण्डों के आधार पर पहचान की जाएगी।

यह भी प्रस्ताव किया गया है कि कुछ चुने हुए उत्पादों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ एक सुविधा समूह गठित किया जाएगा।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारत की युवा पीढ़ी के पास उच्च स्तर का कौशल और प्रतिभा है जिनकी उद्योग 4.0 से जुड़े अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यकता है। "हमारी सरकार युवाओं के फायदे के लिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग को सहायता प्रदान करेगी।"

<u>**जीसीसी के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क**</u>

केन्द्रीय बजट 2025-26 में उभरते हुए **टियर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केन्द्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य** से राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए एक **राष्ट्रीय फ्रेमवर्क** तैयार किया जाएगा। यह प्रतिभा और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को बढ़ाने, भवन- उपनियम सुधारों के लिए उपायों और उद्योगों के साथ सहयोग हेतु 16 उपाय सुझाएगा।

***

एनबी/एमजी/हिन्दी इकाई- 01

(रिलीज़ आईडी: 2098391) आगंतुक पटल : 23

वित्त मंत्रालय

‘विकास केंद्रों के रूप में शहर’ को कार्यान्वित करने हेतु एक लाख करोड़ रुपये की ‘शहरी चुनौती निधि’ की स्थापना

बुनियादी भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा को विकसित करने हेतु ‘राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन’ की शुरुआत

गिग कामगारों के लिए पहचान पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था

गिग कामगारों को पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य संबंधी देखभाल प्रदान की जाएगी, इससे लगभग एक करोड़ कामगारों को सहायता मिलेगी

पीएम स्वनिधि योजना के तहत 30,000 रुपये की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की सुविधा

प्रविष्टि तिथि: 01 FEB 2025 1:17PM by PIB Delhi

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि जुलाई के बजट में घोषित ‘विकास केंद्रों के रूप में शहर’, ‘शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास’, और ‘जल एवं स्वच्छता’ के लिए प्रस्तावों को कार्यान्वित करने हेतु सरकार एक लाख करोड़ रुपये की ‘शहरी चुनौती निधि’ स्थापित करेगी।

उन्होंने कहा कि यह निधि भरोसेमंद परियोजनाओं की लागत के 25 प्रतिशत तक की धनराशि को इस शर्त के साथ वित्तपोषित करेगी कि लागत का कम से कम 50 प्रतिशत बॉन्ड, बैंक ऋणों और पीपीपी के माध्यम से वित्तपोषित किया जाए। वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है।

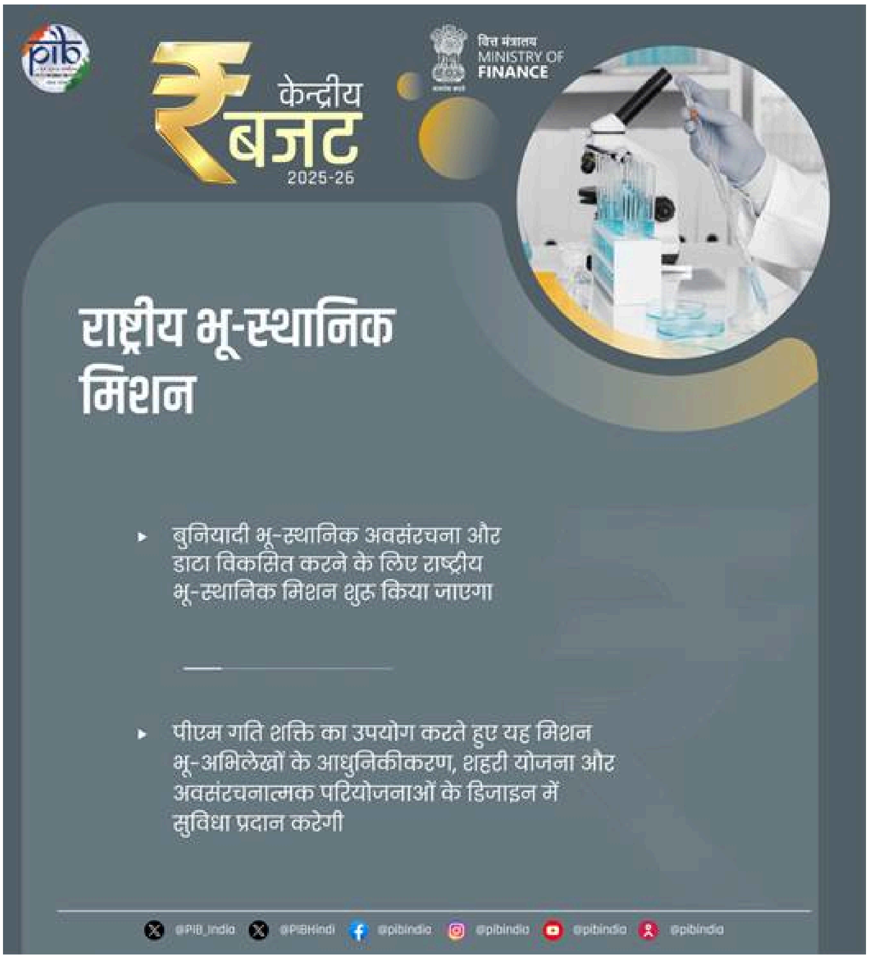

बजट में बुनियादी भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने हेतु 'राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन' शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। पीएम गति शक्ति का उपयोग करते हुए, यह मिशन भू-अभिलेखों, शहरी नियोजना और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के डिजाइन के आधुनिकीकरण को संभव बनाएगी।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार शहरी गरीबों और कमजोर समूहों को सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता देती आ रही है। शहरी कामगारों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए एक स्कीम कार्यान्वित की जाएगी ताकि उनकी आय बढ़ाने, धारणीय आजीविका और बेहतर जीवन स्तर हासिल करने में उनकी सहायता की जा सके।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के गिग कामगार नए युग की सेवा अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण गतिशीलता प्रदान करते हैं। इनके योगदान को मान्यता देते हुए, हमारी सरकार उनके पहचान पत्रों और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था करेगी। उन्हें पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य संबंधी देखभाल प्रदान की जाएगी। इस उपाय से लगभग एक करोड़ गिग कामगारों को सहायता मिलने की उम्मीद है।

वित्त मंत्री ने इस तथ्य पर जोर देते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि योजना ने उच्च ब्याज दर वाले अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणों से राहत पहुंचाते हुए 68 लाख स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित किया है। इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए, इस स्कीम को बैंकों से संवर्धित ऋण, 30,000 रुपये की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्डों और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि किफायती और मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो (स्वामिह) के अंतर्गत विशिष्ट आवास परियोजनाओं में पचास हजार आवासीय ईकाइयों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और घर खरीदने वालों को इनकी चाबियां सौंप दी गई हैं। इससे उन मध्य वर्गीय परिवारों को मदद मिलेगी जो अपार्टमेंट के लिए ऋण पर ईएमआई का भुगतान कर रहे थे और साथ ही अपने वर्तमान आवास में रहने के लिए किराये का भुगतान भी कर रहे थे। अन्य चालीस हजार इकाइयों का निर्माण कार्य वर्ष 2025 में पूरा कर लिया जाएगा।

इस सफलता से प्रेरित होकर सरकार, बैंकों और निजी निवेशकों के अंशदान के साथ एक मिश्रित वित्तीय सुविधा के रूप में ‘स्वामिह निधि-2’ स्थापित की जाएगी। कुल 15,000 करोड़ रुपये वाली इस निधि का लक्ष्य एक लाख अन्य इकाइयों को शीघ्र पूरा करना है।

***

एनबी/एमजी/हिंदी इकाई-17

(रिलीज़ आईडी: 2098390) आगंतुक पटल : 30

वित्त मंत्रालय

केंद्रीय बजट 225-26 : जहाजरानी और उड्डयन क्षेत्र को प्रोत्साहन

25000 करोड़ रूपए के समुद्री विकास कोष का प्रस्ताव

अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों को जोड़ने और 4 करोड़ यात्रियों को लाने-ले जाने के लिए संशोधित उड़ान योजना

बिहार के लिए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे और पश्चिमी कोशी नहर परियोजना

प्रविष्टि तिथि: 01 FEB 2025 1:16PM by PIB Delhi

समुद्री उद्योग को दीर्घकालिक वित्त पोषण के लिए केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 25000 करोड़ रूपए के समुद्री विकास कोष को स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। आज संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह निधि समुद्री उद्योग में वितरित सहायता और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए होगी। इसमें सरकार द्वारा 49 प्रतिशत तक अंशदान किया जाएगा और शेष राशि पत्तनों और निजी क्षेत्र से जुटाई जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि लागत संबंधी हानि से निपटने के लिए पोत-निर्माण वित्तीय सहायता नीति को नया रूप दिया जाएगा जिसमें चक्राकार अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय यार्ड में शिपब्रेकिंग के लिए क्रेडिट नोट भी शामिल होंगे। अवसंरचनासुसंगत मास्टर लिस्ट (एचएमएल) में निर्दिष्ट आकार से अधिक बड़े जलपोतों को शामिल किया जाएगा। जलपोतों की रेंज, श्रेणियों और क्षमता को बढ़ाने के लिए शिपबिल्डिंग क्लस्टरों को सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें संपूर्ण इको-सिस्टम का विकास करने के लिए अतिरिक्त अवसंरचना सुविधाएं, कौशल और प्रौद्योगिकी भी शामिल होंगी। जहाज निर्माण के लिए लंबी अवधि पर ध्यान देते हुए वित्त मंत्री ने कच्चे माल, घटकों, जहाजों के विनिर्माण के लिए कंजुमेबल्स या कल पुर्जों पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट को और 10 वर्षों तक जारी रखने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने शिपब्रेकिंग को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भी इसी तरह की सुविधा देने का प्रस्ताव किया है।

क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान की सराहना करते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमन ने कहा कि उड़ान स्कीम ने 1.5 करोड़ मध्यवर्गीय लोगों को तीव्र यात्रा करने की उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ बनाया है। इस स्कीम ने 88 हवाई अड्डों को जोड़ा है और 619 रूटों को क्रियाशील बनाया है। इस सफलता से प्रेरित होकर, एक संशोधित उड़ान स्कीम शुरू की जाएगी ताकि अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और 4 करोड़ यात्रियों को ऐसी परिवहन सुविधा दी जा सके। यह योजना पर्वतीय, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाईअड्डों को भी सहायता प्रदान करेगी। वित्तमंत्री ने सदन को यह भी बताया कि सरकार उच्च कीमत के जल्दी नष्ट होने वाले बागानी उत्पादों सहित एयर कार्गों के लिए बुनियादी ढांचे और वेयरहाउसिंग के उन्नयन को भी सुगम बनाएगी।

बिहार में ढांचागत प्रोत्साहन के लिए वित्तमंत्री ने प्रस्ताव किया है कि राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्टों की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि वहां भावी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ये पटना एयरपोर्ट और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार के अलावा होंगे। पश्चिमी कोशी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बड़ी संख्या में खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा।

***

एनबी/एमजी/हिन्दी इकाई-12

(रिलीज़ आईडी: 2098388) आगंतुक पटल : 21

सरकारी स्कूलों में अगले पांच वर्षों में 50 हजार अटल टंकरिंग प्रयोगशालाएं

भारतीय भाषा पुस्तक योजना भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराएगा

निजी क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और नवोन्मेष के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का आवंटन

रिसर्च फेलोशिप स्कीम के अंतर्गत आईआईटी और आईआईएससी में प्रौद्योगिकीय अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप का प्रावधान

मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए युवाओं के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ पांच राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केन्द्र

कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा के उत्कृष्टता केंद्र के लिए कुल 500 करोड़ रुपए का परिव्यय

प्रविष्टि तिथि: 01 FEB 2025 1:14PM by PIB Delhi

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2025 को संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में पचास हजार अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। केन्द्रीय बजट में भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। उच्चतर शिक्षा के लिए केन्द्रीय बजट 2025-26 में कहा गया है कि 23 आईआईटी संस्थानों में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो विगत 10 वर्षों में 65,000 से बढ़कर 1.35 लाख हो गई है। आईआईटी, पटना में छात्रावास और अन्य अवसंरचना संबंधी क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा।

अपने विषयों को बेहतर समझने में सहायता करने के उद्देश्य से श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम को लागू करने का प्रस्ताव दिया जो उच्च शिक्षा और स्कूलों के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें उपलब्ध कराएगा।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ पांच राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित करने की भी घोषणा की ताकि "मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशल के साथ हमारे युवाओं को तैयार किया जा सके। इस भागीदारी में पाठ्यक्रम डिजाइन, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, कौशल प्रमाणन फ्रेमवर्क और आवधिक समीक्षा को शामिल किया जाएगा।

केन्द्रीय बजट में कृत्रिम बुद्धिमता शिक्षा के उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए कुल 500 करोड़ रुपए के खर्च की घोषणा की गई।

श्रीमती सीतारमण ने बजट प्रस्तुत करते हुए निजी क्षेत्र में अनुसंधान विकास और नवोन्मेष लागू करने के लिए 20 हजार करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलाशिप स्कीम के अंतर्गत अगले पांच वर्षों में आईआईटी और आईआईएससी में प्रौद्योगिकीय अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप के साथ बजट में वित्तीय सहायता बढाने का भी प्रस्ताव किया गया।

***

एनबी/एमजी/हिंदी इकाई- 19

(रिलीज़ आईडी: 2098386) आगंतुक पटल : 36

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम के तहत देश में पौष्टिकता सहायता को बढ़ावा देना

सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना, वर्ष 2025-26 में 200 केन्द्र स्थापित किए जाएंगे

भारत में निजी क्षेत्र की भागीदारी से चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा

36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) से पूरी तरह छूट

प्रविष्टि तिथि: 01 FEB 2025 1:13PM by PIB Delhi

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2025 को संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि देश की प्रगति के तीसरे ईंजन विकास में निवेश- लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था में निवेश और नवाचार के क्षेत्र में निवेश को समाहित करता है।

उन्होंने कहा कि लोगों में निवेश के हिस्से के रूप में केन्द्रीय बजट 2025-26 में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम के तहत पौष्टिकता सहायता के लागत मानकों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। यह कार्यक्रम देश भर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2025-26 में अगले तीन वर्षों में देश के सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस बजट में यह भी उल्लेख किया गया कि अगले पांच वर्षों में 75, 000 सीटों को जोड़ने के लक्ष्य की दिशा में आगामी वर्ष में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी।

वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि क्षमता निर्माण एवं वीजा नियमों में ढील देने के साथ देश में निजी क्षेत्र के सहयोग से चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा।

औषधियां/दवाओं के आयात पर छूट

रोगियों, विशेष रूप से कैंसर, असाधारण एवं अन्य गंभीर जीर्ण रोगों से पीड़ित मरीजों को राहत देने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) से पूरी तरह छूट प्राप्त दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।

वित्त मंत्री ने 6 जीवन रक्षक दवाओं को 5 प्रतिशत रियायती सीमा शुल्क वाली दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया है। यह पूर्ण छूट और रियायती शुल्क उपर्युक्त दवाओं के निर्माताओं के लिए थोक औषधियों पर भी इसी तरह लागू होगी।

बजट में विशेष रूप से कहा गया है कि औषधि कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले रोगी सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत विशिष्ट औषधियां तथा दवाएं बीसीडी से पूरी तरह छूट प्राप्त है बशर्ते दवाओं की आपूर्ति रोगियों को नि:शुल्क की जाए। बजट में 13 नए रोगी सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के साथ-साथ 37 अन्य दवाओं को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है।

***

एनबी/एमजी/हिन्दी इकाई-10

(रिलीज़ आईडी: 2098384) आगंतुक पटल : 40

वित्त मंत्रालय

अर्थव्यवस्था में निवेश के तीसरे ईंजन के रूप में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी में, राज्यों को मिलने वाली सहायता, परिसंपत्ति मौद्रीकरण, खनन और घरेलू विनिर्माण में बहु-क्षेत्रीय सुधार का प्रस्ताव दिया

केन्द्रीय बजट 2025-2026 में कोबाल्ट पाउडर और अवशिष्ट, लिथियम आयन बैट्री का स्क्रैप, जस्ता, जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों को पूर्णरूप से छूट देने का प्रस्ताव

प्रविष्टि तिथि: 01 FEB 2025 1:11PM by PIB Delhi

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2025 को संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए अर्थव्यवस्था में निवेश के तीसरे ईंजन के रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी, राज्यों की सहायता, 2025-30 के लिए परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना, खनन क्षेत्र और घरेलू विनिर्माण में बहुक्षेत्रीय सुधार का प्रस्ताव दिया है।

<u>अवसंरचना के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी</u>

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव दिया है कि अवसंरचना से जुड़ा प्रत्येक मंत्रालय 3 वर्ष पाइपलाइन वाली परियोजनाओं को लाएगा जिन्हें पीपीपी मोड में कार्यान्वित किया जा सके। राज्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और वे पीपीपी प्रस्तावों को तैयार करने के लिए भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) स्कीम से सहायता ले सकते हैं।

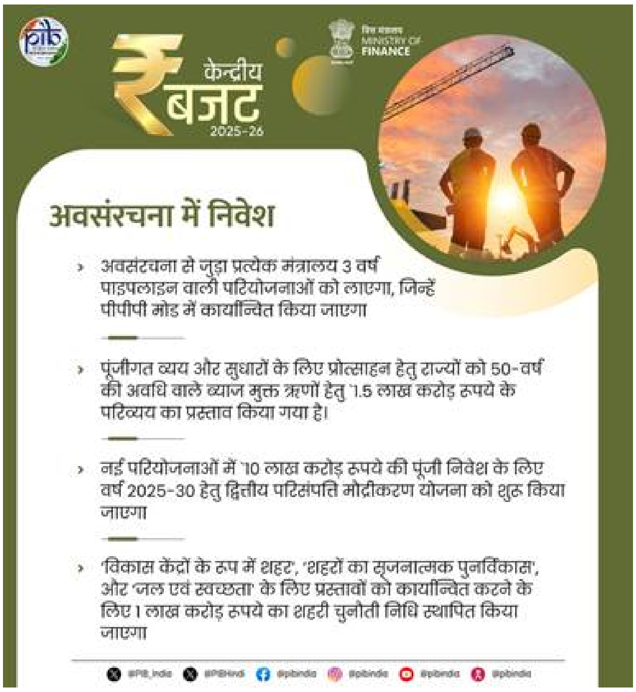

<u>अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता</u>

पूंजीगत व्यय और सुधारों के लिए प्रोत्साहन हेतु वित्त मंत्री ने राज्यों को 50 वर्ष की अवधि वाले ब्याज मुक्त ऋणों हेतु 1.5 लाख करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रस्ताव दिया।

<u>परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025-30</u>

वर्ष 2021 में घोषित प्रथम परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रूपए की पूंजी निवेश के लिए वर्ष 2025-30 हेतु द्वितीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना को शुरू किया जाएगा। इस योजना को सहायता प्रदान करने के लिए विनियामक और राजकोषीय उपायों को सुसंगत बनाया जाएगा।

खनन क्षेत्र में सुधार

केंद्रीय वित्त मंत्री ने सर्वोत्तम पद्धतियों के आदान-प्रदान और राज्य खनन सूचकांक की संस्थापना के माध्यम से लघु खनिजों सहित खनन क्षेत्र में सुधार का प्रस्ताव दिया है।

निजी क्षेत्र के लिए पीएम गति शक्ति डाटा

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पीपीपी को आगे बढ़ाने और परियोजना की रूपरेखा तैयार करने में निजी क्षेत्र की सहायता करने के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल से संगत डाटा और मानचित्र तक पहुंच का प्रस्ताव दिया है।

घरेलू विनिर्माण और मूल्य संवर्धन महत्वपूर्ण खनिज को सहायता

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने भारत के युवाओं के लिए अधिक रोजगार को प्रोत्साहन देने और भारत में विनिर्माण के लिए इनकी उपलब्धताओं के सुनिश्चित करने के लिए कोबाल्ट पाउडर और अवशिष्ट, लिथियम आयन बैट्री का स्क्रैप, जस्ता, जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों को पूर्णरूप से छूट देने का प्रस्ताव दिया है।

***

एनबी/एमजी/हिंदी इकाई-20

(रिलीज़ आईडी: 2098383) आगंतुक पटल : 24

वित्त मंत्रालय

सभी गैर वित्तीय नियामक क्षेत्रों, प्रमाणीकरण, लाइसेंस और अनुमति में नियामक सुधारों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन

सरकार 2025 में राज्यों का इंवेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स आरंभ करेगी

विभिन्न कानूनों में 100 से ज्यादा प्रस्तावों के गैर अपराधीकरण के लिए जन विश्वास बिल 2.0 लाया जायेगा

प्रविष्टि तिथि: 01 FEB 2025 1:10PM by PIB Delhi

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2025 को संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नियामकों को तकनीकी नवोन्मेषों और वैश्विक नीति विकासों के अनुरूप बनाया जाएगा। विश्वास और नियमों पर आधारित नियामक फ्रेमवर्क उत्पादकता और रोजगार उत्पन्न करेगा। इस फ्रेमवर्क से पुराने कानूनों के अंतर्गत बने नियामकों को अपडेट किया जाएगा। 21वीं सदी के लिए इस आधुनिक, लचीले, जन प्रेमी और विश्वास आधारित नियामक फ्रेमवर्क के विकास के लिए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने चार विशेष उपाय प्रस्तावित किए।

नियामक सुधारों के लिए उच्च स्तरीय समिति

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सभी गैर वित्तीय नियामक क्षेत्रों, प्रमाणीकरण, लाइसेंस और अनुमति में नियामक सुधारों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समिति के एक वर्ष के भीतर अपने सुझाव देने की आशा है। इसका उद्देश्य विश्वास आधारित आर्थिक शासन को मजबूत करना और व्यापार को आसान करने के लिए बढावा देना विशेषकर निरीक्षण और अनुपालन के लिए उपायों में बदलाव करना है। राज्य इसे पूरा करने में सहायता करेंगे।

इंवेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2025 में प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद की भावना को बढाने के लिए इंवेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स शुरू किया जाएगा।

एफएसडीसी तंत्र

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय स्थिरता और विकास परीषद के अंतर्गत चालू वित्तीय नियामकों और सब्सिडी निर्देशों के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए एक तंत्र बनाया जाएगा। यह वित्तीय सेक्टर के विकास को बढावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क का भी गठन करेगा।

जनविश्वास बिल 2.0

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार अब विभिन्न कानूनों में 100 से ज्यादा प्रस्तावों के गैर अपराधीकरण के लिए जन विश्वास बिल 2.0 लाएगी। जन विश्वास अधिनियम 2023 के अंतर्गत 180 से ज्यादा प्रस्तावों का गैर अपराधीकरण किया गया था।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में वित्तीय और गैर वित्तीय सहित विभिन्न क्षेत्रों में सरकार ने व्यापार को आसान करने की अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है।

***

एनबी/एमजी/हिंदी इकाई- 5

(रिलीज़ आईडी: 2098381) आगंतुक पटल : 16

केंद्रीय बजट 2025-26 ने पर्यटन को रोजगार परक विकास के रूप में स्थापित किया है

राज्यों की भागीदारी से शीर्ष 50 पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे

निजी क्षेत्र के सहयोग से देश में चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य-लाभ को प्रोत्साहन दिया जाएगा

एक करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियों को शामिल करने के लिए पांडुलिपि धरोहर विकसित की जाएगी

प्रविष्टि तिथि: 01 FEB 2025 1:08PM by PIB Delhi

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2025 को संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 ने पर्यटन को रोजगार प्रेरित विकास के रूप में स्थापित किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि रोजगार आधारित विकास हेतु युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम की पहल की गई है। इसके साथ ही होमस्टे के लिए मुद्रा लोन, यात्रा सुगमता में सुधार और पर्यटन स्थलों तक संपर्क, ई-वीजा सुविधा में सरलीकरण और राज्यों को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन जैसे उपाय भी किए गए हैं।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों के सहयोग से देश में 50 पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। होटल व अन्य प्रमुख अवसंरचनाओं के विकास के लिए भूमि की व्यवस्था राज्यों द्वारा की जाएगी और इन क्षेत्रों में बनने वाले होटलों को अवसंरचना एचएमएल में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक व धार्मिक महत्वों के स्थलों और भगवान बुद्ध के जीवन काल से जुड़े स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अपने संबोधन में निर्माला सीतारमण ने कहा कि क्षमता निर्माण और वीजा नियमों को सरल बनाने के साथ-साथ निजी क्षेत्र के सहयोग से चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा।

ज्ञान भारतम मिशन

वित्त मंत्री ने कहा कि एक करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियों को शामिल करने के लिए शिक्षण संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों व निजी संग्रहकर्ताओं के साथ मिलकर हमारे पांडुलिपियों के दस्तावेजीकरण और संरक्षण शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित किया जाएगा।

***

एनबी/एमजी/हिंदी इकाई-4

(रिलीज़ आईडी: 2098379) आगंतुक पटल : 35

अगले पांच वर्ष 'सबका विकास' के दृष्टिकोण को वास्तविक रूप देने के लिए एक विशिष्ट अवसर प्रदान करते है: केन्द्रीय बजट 2025-26

कृषि, एमएसएमई , निवेश और निर्यात विकास की इस यात्रा के चार शक्तिशाली इंजन है

बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी वर्ग पर विशेष ध्यान

प्रविष्टि तिथि: 01 FEB 2025 1:07PM by PIB Delhi

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2025 को संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि अगले पांच वर्ष 'सबका विकास' के दृष्टिकोण को वास्तविक रूप देने के लिए एक विशिष्ट अवसर प्रदान करते हैं।

केन्द्रीय मंत्री ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से वृद्धि कर रही है। पिछले दस वर्षों के विकास और ढांचागत सुधारों के हमारे रिकार्ड ने विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि केवल इसी अवधि में भारत की क्षमता और सामर्थ्य के प्रति विश्व स्तर पर भरोसा बढ़ा है।

केन्द्रीय बजट 2025-26 वृद्धि, समावेशी विकास को हासिल करने, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, आवास क्षेत्र में वृद्धि करने और देश के मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति क्षमता को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों को रेखांकित करता है।

उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात भारत की विकास यात्रा के चार शक्तिशाली इंजन है। इस बजट में छह क्षेत्रों में बदलावकारी सुधारों को शुरु करने का उद्देश्य रखा गया है। अगले पांच वर्षों में कराधान, बिजली क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र में नियामक सुधार हमारी वृद्धि की क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि विकास की इस यात्रा में 'हमारे सुधार ही ईंधन हैं जहां 'समावेशिता' एक प्रेरक शक्ति है और 'विकसित भारत' ही हमारा गंतव्य है।

केन्द्रीय मंत्री ने अपने केन्द्रीय बजट भाषण 2025-26 में गरीब वर्ग, अन्नदाता और नारी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिए जाने पर जोर देते हुए कहा कि 10 वृहद क्षेत्रों में व्यापक विकास संबंधी उपाय प्रस्तावित हैं। ये क्षेत्र कृषि और उत्पादकता को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि एवं लचीलेपन को बढ़ावा देना, समावेशी वृद्धि के पथ पर सभी को एक साथ लेकर चलना, विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती प्रदान करना और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना, एमएसएमई को सहारा प्रदान करना, रोजगार केंद्रित विकास को सक्षम बनाना, लोगों, अर्थव्यवस्था, नवाचार के क्षेत्र में निवेश करना, ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना, निर्यात को बढ़ावा देना तथा नवाचार के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करना है।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा ' विकसित भारत' की परिकल्पना में शून्य निर्धनता, शत-प्रतिशत उच्च गुणवत्तायुक्त स्कूली शिक्षा, उच्च गुणवत्तायुक्त किफायती एवं समग्र स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र तक पहुंच, सार्थक रोजगार के साथ शत-प्रतिशत कुशल श्रमिक बल, आर्थिक गतिविधियों में 70 प्रतिशत महिलाएं और भारत को 'विश्व की खाद्यान्न टोकरी' बनाने में हमारे किसानों की वृहद भूमिका शामिल है।

***

एनबी/एमजी/हिन्दी इकाई-3

(रिलीज़ आईडी: 2098377) आगंतुक पटल : 28

जल जीवन मिशन का बजटीय परिव्यय बढ़कर 67,000 करोड़ रुपए हुआ

जल जीवन मिशन का विस्तार 2028 तक

मिशन अगले 3 वर्षों की अवधि में शत प्रतिशत कवरेज हासिल करेगा

प्रविष्टि तिथि: 01 FEB 2025 1:06PM by PIB Delhi

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2025 को संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन का कुल बजटीय परिव्यय बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह मिशन 2028 तक बढ़ा दिया गया है।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की ग्रामीण आबादी के 80 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले 15 करोड़ लोगों को 2019 से जल जीवन मिशन से फायदा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि इस मिशन के तहत नल का पेयजल उपलब्ध कराया जाता है और अगले 3 वर्षों में मिशन का लक्ष्य शत प्रतिशत लोगों को नल का पेयजल उपलब्ध कराना है।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सूचित किया कि इस मिशन का मुख्य ध्यान अवसंरचना की गुणवत्ता और "जन भागीदारी" के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप से जल आपूर्ति योजना के प्रचालन और रखरखाव (ओएण्डएम) पर होगा। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पृथक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया जाएगा ताकि, इसकी संधारणीयता और नागरिक - केंद्रित जल सेवा वितरण को सुनिश्चित किया जा सके।

***

एनबी/एमजी/हिंदी इकाई-23

(रिलीज़ आईडी: 2098375) आगंतुक पटल : 25

वित्त मंत्रालय

2047 तक कम से कम 100 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना आवश्यक है

अनुसंधान एवं लघु रिएक्टर संबंधी परमाणु ऊर्जा मिशन 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ स्थापित किया जाएगा

कम से कम 5 स्वदेशी विकसित एसएमआर 2033 तक चालू कर दिया जाएगा

विद्युत कंपनियों की वित्तीय हालत और क्षमता को सुधारने के लिए जीएसडीपी का 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कर्ज लेने की राज्यों को अनुमति दी जाएगी

प्रविष्टि तिथि: 01 FEB 2025 1:04PM by PIB Delhi

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2025 को संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि इस बजट ने 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करने पर जोर दिया है, क्योंकि यह देश के ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने हेतु निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु दुर्घटना संबंधी नागरिक उत्तरदायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएगें।

श्रीमती सीतारमण ने अनुसंधान एवं लघु रिएक्टर संबंधी परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किए जाने पर प्रकाश डाला, जिसका परिव्यय 20,000 करोड़ रुपए होगा। उन्होंने आगे कहा कि कम से कम 5 स्वदेशी विकसित एसएमआर 2033 तक चालू कर दिए जाएगें।

विद्युत कंपनियों की वित्तीय हालत और क्षमता को बेहतर करने के लिए मंत्री महोदया ने कहा कि केंद्र सरकार विद्युत वितरण संबंधी सुधारों को प्रोत्साहित करेगी और राज्यों द्वारा अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन क्षमता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देगी। उन्होंने उल्लेख किया कि इन सुधारों के आधार पर जीएसडीपी का 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कर्ज लेने की राज्यों को अनुमति दी जाएगी।

***

एनबी/एमजी/हिंदी इकाई-7

(रिलीज़ आईडी: 2098374) आगंतुक पटल : 23

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भारतीय डाक एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा : बजट 2025-26

डीबीटी, सूक्ष्म उद्यमों को ऋण सेवा, बीमा और अन्य सेवाओं को शामिल करने के लिए भारतीय डाक सेवाओं का विस्तार किया जाएगा

विश्वकर्माओं, महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय डाक को एक विशाल सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन में बदला जाएगा

प्रविष्टि तिथि: 01 FEB 2025 1:02PM by PIB Delhi

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2025 को संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों वाले भारतीय डाक को भारतीय डाक पेमेंट बैंक और 2.4 लाख डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क की सहायता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि भारतीय डाक की विस्तारित सेवा श्रेणी में निम्नलिखित सेवाएं शामिल हैं:

1. ग्रामीण समुदाय हब को-लोकेशन;
2. सांस्थानिक खाता सेवाएं;
3. डीबीटी, नकद निकासी और ईएमआई पिक-अप;
4. सूक्ष्म उद्यमों को ऋण सेवाएं;
5. बीमा; और
6. सहायता-प्राप्त डिजिटल सेवाएं

श्रीमती सीतारमण ने यह भी बताया कि भारतीय डाक को एक विशाल सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन के रूप में बदला जाएगा। यह संगठन विश्वकर्माओं, नए उद्यमियों, महिलाओं, स्व-सहायता समूहों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और बड़े कारोबारी संगठनों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय डाक पेमेंट बैंक की सेवाओं को व्यापक करते हुए उनका विस्तार भी किया जाएगा।

***

एनबी/एमजी/हिंदी इकाई-16

(रिलीज़ आईडी: 2098372) आगंतुक पटल : 41

केन्द्रीय बजट 2025-26 में औद्योगिक वस्तुओं के लिए सात सीमा शुल्क दरों को हटाने का प्रावधान

कैंसर और अन्य जानलेवा बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली अन्य 36 जीवन रक्षक दवाओं को बुनियादी सीमा-शुल्क से बाहर किया जाएगा

ई-मोबिलिटी को बढ़ावा: विद्युत चालित वाहनों की बैटरी निर्माण के लिए आवश्यक 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं को बुनियादी सीमा-शुल्क से छूट

व्यापार को सुगम बनाने और आम जनता को राहत देने के लिए घरेलू विनिर्माणकर्ताओं को सहायता तथा निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अतिरिक्त उपाय

प्रविष्टि तिथि: 01 FEB 2025 12:59PM by PIB Delhi

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2025 को संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि सीमा शुल्क की दरों के प्रस्ताव को युक्तिसंगत बनाने और शुल्क समायोजन के समाधान पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह प्रस्ताव घरेलू विनिर्माणकर्ताओं को सहायता प्रदान करेंगे और मूल्य वर्धन के साथ निर्यात को बढ़ावा देने में प्रमुख योगदान देंगे, जिससे व्यापार करने में सुगमता होगी तथा आम लोगों को राहत मिलेगी।

यह बजट, जुलाई 2024 में सीमा शुल्क दरों की संरचना की समीक्षा करने के वादे पर मुख्य रूप से केन्द्रित है। नई व्यवस्था के तहत औद्योगिक वस्तुओं के लिए सात सीमा शुल्क दरों को हटाने का प्रस्ताव है। इससे पहले भी बजट 2023-24 में सात कर दरों को हटाया गया था, अब केवल आठ टैरिफ रेट ही रह जाएंगे, जिसमें 'शून्य' शुल्क भी शामिल है। बजट में एक से अधिक उपकर अथवा अधिभार नहीं लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इस व्यवस्था से उपकर के अधीन 82 टैरिफ लाइनों पर समाज कल्याण अधिभार से छूट देने का प्रस्ताव भी सुनिश्चित हुआ है।

औषधियों/दवाओं के आयात पर राहत

बजट में कैंसर के मरीजों और असाधारण बीमारियों तथा अन्य गंभीर जीर्ण रोगों से पीड़ित लोगों को राहत देने का भरकस प्रयास किया गया है। इसके तहत 36 जीवनरक्षक औषधियों एवं दवाओं को बुनियादी सीमा-शुल्क (बीसीडी) से पूरी तरह छूट-प्राप्त दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा 6 जीवनरक्षक दवाओं को 5 प्रतिशत के रियायती सीमा-शुल्क वाली दवाओं की सूची में शामिल किया जाना भी प्रस्तावित है। अब पूर्ण छूट और रियायती शुल्क उपर्युक्त निर्माताओं के लिए थोक औषधियों पर भी इसी प्रकार से लागू होंगे।

दवा बनाने वाली कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले रोगी सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत विशिष्ट औषधियां और दवाएं बुनियादी सीमा-शुल्क से पूरी तरह छूट-प्राप्त हैं, जिसके लिए दवाओं की आपूर्ति रोगियों को निःशुल्क किया जाना इसकी प्रमुख शर्त है। अब बजट में 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों के साथ-साथ 37 अन्य दवाओं को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।

घरेलू विनिर्माण और मूल्य वर्धन को सहायता

वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों के बैटरी के विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण हेतु 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं को छूट-प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे मोबाइल फोन और विद्युत चालित वाहनों के लिए लिथियम आयन बैटरी के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि कोबाल्ट पाउडर व इसके अपशिष्ट और लिथियम-आयन बैटरी, पारा, जिंक तथा 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के अवशिष्ट पर पूरी तरह से छूट का प्रस्ताव किया गया है। इससे भारत में विनिर्माण के उद्देश्य से इन महत्वपूर्ण घटकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा हमारे देश के युवाओं के लिए और अधिक संख्या में रोजगार को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। इससे पहले जुलाई, 2024 के बजट में भी 25 ऐसे महत्वपूर्ण खनिजों पर बीसीडी से पूरी तरह छूट प्रदान की गई थी।

श्रीमती सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर तकनीकी वस्त्र उत्पादों जैसे कि कृषि-वस्त्रों, चिकित्सा क्षेत्र के वस्त्रों और भू-वस्त्रों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूरी तरह छूट प्राप्त टेक्सटाइल मशीनरी की सूची में दो अन्य प्रकार के शटल-रहित करघों को शामिल करने की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि नौ टैरिफ लाइनों द्वारा कवर किए गए बुने वस्त्रों पर "10 प्रतिशत अथवा 20 प्रतिशत"के बीसीडी दर को संशोधित कर “20 प्रतिशत अथवा 115 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक होगा” उसे करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ नीति के अनुरूप, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफपीडी) पर बीसीडी को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने और ओपन सेल तथा अन्य घटकों पर बीसीडी को कम करके 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि यह पहल शुल्क समायोजन संरचना को ठीक करने में सहायक होगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि पोत-निर्माण में मुख्य गतिविधि शुरू करने से पहले की अवधि लम्बी होती है। ऐसी स्थिति में जलपोतों के विनिर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल, घटकों, उपभोज्यों अथवा पुर्जों पर अगले दस वर्षों तक बीसीडी से छूट जारी रखने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। बजट में पुराने पोतों को तोड़ने (शिप-ब्रेकिंग) को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भी छूट देने का प्रस्ताव किया गया है।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि वर्गीकरण के विवादों को रोकने के लिए कैरियर ग्रेड इथरनेट स्विच पर बीसीडी को नॉन-कैरियर ग्रेड इथरनेट स्विच के समकक्ष लाने के लक्ष्य के साथ 20 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।

निर्यात संवर्धन

देश में निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुछ कर-प्रस्तावों को भी रखा जा रहा है। हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात की समयावधि को छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर आगे भी और अगले तीन महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। बजट में शुल्क-मुक्त इनपुट की सूची में नौ और मदों को शामिल करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत है।

वित्त मंत्री ने कहा कि घरेलू मूल्यवर्धन और रोजगार के लिए आयात को सुविधाजनक बनाने हेतु वेट ब्लू लेदर पर बीसीडी से पूर्ण छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा छोटे चर्मशोधकों द्वारा निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रस्ट लेदर को 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क से छूट देना भी शामिल है।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि वैश्विक समुद्री खाद्य बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए विनिर्माण हेतु फ्रोजन फिश पेस्ट (सुरीमी) और इसके जैसे उत्पादों के निर्यात पर बीसीडी को 30% से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। मछलियों और झींगे के आहार बनाने के लिए फिश हाइड्रोलीसेट पर बीसीडी को 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना भी प्रस्तावित है।

वित्त मंत्री ने कहा कि जुलाई, 2024 बजट में वायुयानों और जलपोतों के लिए घरेलू एमआरओ के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मरम्मत हेतु आयातित विदेशी मूल की वस्तुओं के निर्यात की समय-सीमा 6 महीने से बढ़ाकर एक वर्ष की गई थी। अब इसे एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। बजट 2025-26 में रेल वस्तुओं के लिए भी इसी तरह छूट का प्रस्ताव सुनिश्चित किया गया है।

कारोबार में आसानी और व्यापार करने में सुगमता

वर्तमान में, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए किसी भी समय-सीमा का प्रावधान नहीं है, जिसकी वजह से कारोबार व व्यापार में अनिश्चितता बनी रहती है और लागत बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोविजनल कर-निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए दो वर्षों की समय-सीमा तय करने का प्रस्ताव किया जा रहा है, जिसे आवश्यकतानुसार एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में एक नया प्रावधान शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे आयातक या निर्यातक माल की स्वीकृति के बाद स्वेच्छा से महत्वपूर्ण तथ्यों की घोषणा कर सकें और जुर्माने के बिना ब्याज सहित शुल्क का भुगतान कर सकें। इस पहल से स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा। यह अलग बात है कि नया प्रावधान उन मामलों में लागू नहीं होगा, जिनमें विभाग पहले ही लेखापरीक्षा या अन्वेषण कार्रवाई शुरू कर चुके हैं।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि उद्योग को अपनी आयात गतिविधियों के लिए बेहतर योजना बनाने के उद्देश्य से संगत नियमों में आयातित इनपुट के अंतिम उपयोग की समय-सीमा छह महीने से बढ़ाकर एक साल किए जाने का प्रस्ताव है। इससे लागत और आपूर्ति की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए कार्य संचालन संबंधी सुविधा देखने को मिलेगी और आगे भी सुगमता होगी। इसके अलावा, महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ऐसे आयातकों को मासिक विवरण की बजाय अब केवल तिमाही विवरण दाखिल करना होगा।

***

एनबी/एमजी/हिंदी इकाई-13

(रिलीज़ आईडी: 2098369) आगंतुक पटल : 54

वित्त वर्ष 2025 में पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत की वास्तविक और सामान्य सकल घरेलू उत्पाद दर क्रमश: 6.4 प्रतिशत तथा 9.7 प्रतिशत रहने की संभावना

भारतीय सामान्य सकल घरेलू उत्पाद के वित्त वर्ष 2026 में 10.1 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान

सरकार द्वारा आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग के लिए किए गए उपायों के कारण वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल से दिसम्बर) में खुदरा महंगाई 4+2 प्रतिशत के बीच बनी रही

भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई की दर वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 4.6 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया

वित्तीय घाटा वित्तीय वर्ष 2024-25 (आरई 2024-25) में जीडीपी का 4.8 प्रतिशत लक्षित, वह वित्त वर्ष 2025-26 में 4.5 प्रतिशत से नीचे रहने के पथ पर अग्रसर

वित्त वर्ष 2025-26 में पूंजीगत व्यय 11.21 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.1 प्रतिशत)

अप्रैल से दिसम्बर 2024 के बीच भारत का कारोबारी निर्यात 1.6 प्रतिशत की दर से बढ़ा (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर) जबकि सेवा क्षेत्र में निर्यात ने 11.6 प्रतिशत की बढ़त हासिल की (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर)

भारत का वर्तमान चालू खाता घाटा (सीएडी) वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में 1.3 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 1.2 प्रतिशत पर पहुंचा

राजकोषीय घाटा ढलान पर और इसके वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी के 4.8 प्रतिशत से घटकर 2025-26 में जीडीपी के 4.4 प्रतिशत पर पहुंचने का अनुमान

केन्द्र सरकार का ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में गिरते क्रम में बना रहेगा, इसके वित्त वर्ष 2025-26 में 56.1 रहने का अनुमान, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 57.1 है

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बढ़त का सिलसिला जारी, 42.1 अरब अमरीकी डॉलर (वित्त वर्ष 2023-24 के अप्रैल से अक्टूबर में) से बढ़कर 48.6 अरब अमरीकी डॉलर (वित्त वर्ष 2024-25 की समान अवधि में)

भारत का विदेश मुद्रा भंडार दिसम्बर 2024 के अंत में 640.3 अरब अमरीकी डॉलर पहुंचने का अनुमान, यह देश के बाहरी ऋण का 90 प्रतिशत हिस्सा कवर करने के लिए पर्याप्त है

प्रविष्टि तिथि: 01 FEB 2025 12:51PM by PIB Delhi

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2025 को संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा है कि विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक होने के कारण भारत वैश्विक स्तर पर चर्चा के केन्द्र में है। भारत वैश्विक वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चुनौतियों के बावजूद भारत सभी के लिए त्वरित, सही, समावेशी और सहजता के साथ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए कार्य कर रहा है। भारत सरकार का लक्ष्य समावेशी और विस्तृत आर्थिक विकास सुनिश्चित करना आगे भी बना रहेगा। भारत की आर्थिक नीतियां बदलाव लाने, योजनाओं के कियान्वयन और दृढ़ता के साथ जमीनी स्तर पर कार्य करने में प्रमुख भूमिका निभाएंगी। इस तरह का दृष्टिकोण न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि वैश्विक एवं घरेलू चुनौतियों का मजबूती का सामना करने तथा सरकार के लिए आवश्यक अवसर सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

सूक्ष्म-आर्थिक प्रारूप वक्तव्य 2024-25 के अनुसार राष्ट्रीय सांख्यकीय कार्यालय के पहले विस्तृत अनुमान में भारत की वास्तविक और सामान्य सकल घरेलू उत्पाद दर क्रमश: 6.4 प्रतिशत तथा 9.7 प्रतिशत रहने की संभावना व्यक्त की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में सामान्य सकल घरेलू उत्पाद के वित्त वर्ष 2024-25 के पहले अग्रिम अनुमान से अधिक 10.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

मुद्रास्फीति का दबाव वित्त वर्ष 2024-25 में देखा गया और सूक्ष्म-आर्थिक प्रारूप वक्तव्य के अनुसार यह 2023-24 में 5.4 प्रतिशत की तुलना में 4.9 प्रतिशत (अप्रैल से दिसम्बर के दौरान) के औसत पर दर्ज की गई। गिरावट का यह सिलसिला खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति के बगैर देखा गया है। समग्र मुद्रास्फीति की दर वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल से दिसम्बर) में खुदरा महंगाई के 4±2 प्रतिशत के बीच बनी रही। सरकार द्वारा आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग के लिए किए गए उपायों के कारण यह संभव हुआ है। वक्तव्य में यह अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में महंगाई की दर में गिरावट आने के आसार है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में अनुमानित महंगाई के 4.6 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 4 प्रतिशत रहने की संभावना जताई है। इसके अलावा घरेलू उपभोग की वस्तुओं के दाम लगभग सामान्य बने रहेंगे। यह अलग बात है कि भौगोलिक परिस्थितियां इनपर अपना असर डालती हैं और दाम बढ़ सकते हैं।

सूक्ष्म-आर्थिक प्रारूप वक्तव्य 2024-25 के अनुसार सरकार द्वारा कोविड 19 महामारी के बाद के वर्षों में अपनाई गई आर्थिक नीतियों एवं उपायों ने राहत पहुंचाई है और देश की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु जरूरी आर्थिक नीतियों को आधार दिया है। आरई 2024-25 में सरकार ने वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 प्रतिशत तक लक्षित करने का प्रयास किया है। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में किए गए वायदों को पूरा करने के क्रम में देश ने उपलब्धि हासिल की है और यह वित्त वर्ष 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद अनुपात से 4.5 प्रतिशत के नीचे रहने में सफल रहा है।

केन्द्र सरकार का ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में गिरते क्रम में बना रहेगा, इसके वित्त वर्ष 2025-26 में 56.1 रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 57.1 रहा था। सरकार वित्तीय मजबूती की दिशा में आगे बढ़ते हुए हर संभव विकास तथा देश की उन्नति को प्राथमिकता दे रही है, बशर्ते वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 के बीच देश को किसी बड़े अथवा सूक्ष्म आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े, जिनका अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ सकता है। भारत सरकार हर वर्ष (वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक) वित्तीय घाटे का संतुलन बनाये रखने का भरकस प्रयास कर

रही है। केन्द्र सरकार का ऋण नीचे जाने के क्रम में है और यह 31 मार्च 2031 तक जीडीपी स्तर के लगभग 50±1 तक आ सकता है। इसके अलावा राजकोषीय घाटा भी घट रहा है और यह वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 प्रतिशत से नीचे आकर वित्त वर्ष 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.4 प्रतिशत तक जा सकता है।

		संशोधित अनुमान	**बजट अनुमान**
		2024-25	**2025-26**
1	वित्तीय घाटा	4.8	4.4
2	राजकोषीय घाटा	1.9	1.5
3	प्राथमिक घाटा	1.3	0.8
4	कर राजस्व (सकल)	11.9	12.0
5	गैर-कर राजस्व	1.6	1.6
6	केन्द्र सरकार ऋण	57.1	56.1

सारणी: वित्तीय संकेतक - जीडीपी के एक प्रतिशत में लक्षित आंकड़े

वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जारी बजट के बारे में अधिक चर्चा करते हुए कहा कि यह 11.21 लाख करोड़ रुपये (सकल घरेलू उत्पाद का 3.1 प्रतिशत) पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं। इसमें डेढ़ लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राज्यों की सहायता के लिए ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण का प्रावधान भी किया गया है। इस बजट में पूंजीगत परिव्यय वित्त वर्ष 2019-20 की धनराशि का लगभग 3.3 गुणा है।

वक्तव्य में रेखांकित किया गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 के राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिए कुल बाजार ऋण तिथिगत प्रतिभूति से अनुमानित रूप से 11.56 लाख करोड़ रुपये लेना होगा और शेष वित्त पोषण की पूर्ति लघु बचत और अन्य स्रोतों से होने की संभावना है। इस अवधि में सकल बाजार ऋण 14.82 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

बाह्य क्षेत्र की स्थिति का उल्लेख करते हुए वक्तव्य में रेखांकित किया गया है कि भारत के मर्केडाइज निर्यात अप्रैल-दिसम्बर 2024 में साल दर साल आधार पर 1.6 प्रतिशत रहा, जबकि इस अवधि में सेवा क्षेत्र निर्यात में भी 11.6 प्रतिशत की बेहतर प्रगति रही।

भारत का मौजूदा लेखा घाटा वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 1.2 प्रतिशत रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 की इसी अवधि में यह 1.3 प्रतिशत था।

वक्तव्य में आगे बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवाह में सकारात्मक बदलाव रहा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अप्रैल से अक्टूबर की अवधि में जहां सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 42.1 अरब डॉलर था वहीं, 2024-25 के इसी अवधि के दौरान यह 48.6 अरब डॉलर हो गया। मौजूदा वित्त वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर माह में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 14.5 अरब रहने का अनुमान है। वक्तव्य में भारत के विदेशी मुद्रा कोष भी दिसम्बर 2024 में 440.3 अरब डॉलर रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है जो देश के बाह्य ऋण का लगभग 90 प्रतिशत है। नवम्बर 2024 तक आयात बाह्य क्षेत्र की स्थिरता के महत्वपूर्ण संकेतक आयात कवर 11 महीने है।

मसौदा वित्त वर्ष 2025-26 के महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं को दर्शाता है जिसमें रोजगार की तीव्रता बढ़ाकर समान और स्थिर विकास हासिल करने तथा अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता, बढ़े सार्वजनिक पूंजी व्यय, सामाजिक कल्याण और विकास के प्रति संतृप्त रूख अपनाने, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास में उत्पादक क्षमता विकसिक करने, केन्द्र सरकार और राज्यों की विकास क्षमता मजबूत करने तथा वित्तीय उत्तरदायित्व और पारदर्शिता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता दर्शाता है।

***

एनबी/एमजी/हिंदी इकाई-24

(रिलीज़ आईडी: 2098359) आगंतुक पटल : 28